प्रथम अध्याय

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :–

प्रत्येक मनुष्य एक विद्यार्थी है और उसका समस्त जीवन काल एक शिक्षा काल है। शिक्षा मानवीय चेतना का वह ज्योतिर्मय सुसंस्कृत पक्ष है, जिससे उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा मानव के विकास की जन्मजात प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती है। अतः शिक्षा की आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें उपयुक्त शिक्षण अधिगम स्थितियों में बालक को प्राप्त अनुभवों के माध्यम से उसके व्यवहार में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाता है। कक्षा एक बड़ी सीमा तक मानसिक शक्ति का विकास करने में सहायक होती है, किन्तु अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है कि विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसी स्वस्थ क्रियाये आयोजित की जाये, जिनके द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो सके। उक्त उद्देश्यों के सम्पादन हेतु शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

I शैक्षिक गतिविधियाँ :–

औपचारिक शिक्षा के रूप में विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जो कार्य किए जाते है अथवा जिस प्रकार शिक्षण व्यवस्थाएं की जाती है वे सभी शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत आती है।

शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासन सभी का सहयोग होता है। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत शिक्षकों की योग्यता एवं व्यवहार, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री का प्रयोग प्रायोगिक कार्य आदि सम्मिलित होते है।

शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन करवाया जाता है अन्य शिक्षण नहीं होता है जिसके अन्तर्गत एक कक्ष के अन्तर्गत शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षक की भूमिका जिसमें महत्वपूर्ण होती है। इससे विद्यार्थी का केवल बौद्धिक विकास होता है।

शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है ''अपेक्षित शिक्षा के पुननिर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, उसके व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षिक योग्ताए, उसका व्यावसायिकरण प्रशिक्षण और उसकी स्थिति, जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे।''

माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित शैक्षिक गतिविधियाँ :–

शैक्षिक एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। बालक परिवार, समाज कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है परन्तु औपचारिक रूप से शिक्षा विद्यालय में प्राप्त की जा सकती है। शैक्षिक गतिविधियां निन्नलिखित है।

(1) प्रयोगिक कार्य **(2) सैद्धान्तिक कार्य**

(3) अन्य कार्य –

(1) शिक्षण विधियों का प्रयोग

(2) पुस्तकालय गठन

(3) सहायक सामग्री

(4) शिक्षकों की योग्यता

(5) साहित्यिक क्रियांए – जैसे–लेखन, तर्कवितर्क, भाषण, कविता आदि।

(6) स्कूल पत्रिका।

II सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बालक में अनेक गुणों तथा अनुशासन, मर्यादा, सयंम नियमितता, स्वच्छता, शिक्षकों के प्रति आदर की भावना, विद्यालय एंव राष्ट्रीय सम्पति के प्रति सुरक्षा एवं समाज सेवा की भावना, आदि गुणों का विकास होता है। सह–शैक्षिक गतिविधियों को विद्यालयी जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विद्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान व सम्मान दिया है।

''पाठ्य सहगामी क्रिया–कलाप की योजना जिसका परम् उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं सम्पूर्ण विकास है। बड़ी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता से बनायी जानी चाहिए।'' मनोवैज्ञानिक खोजों ने यह सर्वथा सिद्ध कर दिया है कि वे विद्यार्थी जो सह–शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते है, संवेगात्मक दृष्टि से अधिक स्थिर एवं आत्मविश्वासी होते है तथा शीघ्र हतोत्साहित नहीं होते है। घर और विद्यालय के कठोर अनुशासन के कारण बालक की इच्छाओं व आंकक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। वह उनका शमन व दमन करता है, जिसके कारण उनमें मानसिक विकारों के पैदा होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

विद्यार्थियों में सामाजिक गुण जिन्हें हम सह–शैक्षिक गतिविधियों द्वारा अर्जित कर सकते है– एक–दूसरे के प्रति सहानुभूति, भाईचारा, सहनशीलता, सहयोग, सद्भाव लक्ष्य प्राप्तिकरण हेतु मिलकर बढ़ना, नियमों का पालन करना, अज्ञापालन, अन्य सभी नागरिक गुणों को ग्रहण करना आदि।

सह–शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से संस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को उभारने की क्षमता को ध्यान में रखकर प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है जिनका लक्ष्य भी सामाजिक समरता के गुणों का विकास करना है। इन क्रियाओं द्वारा विभिन्न वातावरण से आये बालकों में सहयोग, सह–अस्तित्व भावना का विकास किया जा सकता है।

सह–शैक्षिक गतिविधियाँ छात्र की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। छात्र इनमें सहिष्णु, साहसी, सदाचारी कर्मठ व धैर्यवान बनता है क्योंकि सह–शैक्षिक क्रियाओं से छात्र के सभी व्यक्तित्व पक्षों का सम्पूर्ण विकास होता है।

विद्यालय में आयोजित सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :–

जो गतिविधियां शैक्षिक क्रियाओं से भिन्न होती है। शिक्षा के साथ संचालित की जाती है। इस तरह के कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किये जाते है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। यह ऐसी गतिविधियाँ है जो आपके विभिन्न सामाजिक विकास, नैतिक विकास शारीरिक

एवं सांस्कृतिक विकास में अहम् भूमिका निभाता है। अतः सह–शैक्षिक गतिविधियाँ निम्न लिखित है।

(1) प्रशासनिक गतिविधियाँ

(2) सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(3) सामाजिक गतिविधियाँ

(4) शारीरिक गतिविधियाँ

(5) विद्यालय सम्बन्धी गतिविधियाँ

1. प्रशासनिक गतिविधियाँ :–

विद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों के अन्तर्गत भौतिक एंव मानवीय तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध एंव सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रशासनिक गतिविधियों विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाती है। प्रशासनिक गतिविधियों के अन्तर्गत विद्यालय का प्रशासन एक विशाल भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय कक्ष, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ जल, साफ सफाई, साज सज्जा, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति एवं छात्रों का नामांकन आदि आते है।

2. सांस्कृतिक गतिविधियाँ :–

इन गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते है। साथ ही विद्यार्थी में व्यावसायिक क्षमताओं का भी विकास होता है। सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत लोकगीत, लोकनृत्य, कीर्तन, भजन, संगीत, प्रदर्शनी, फैन्सी ड्रेस,सांस्कृतिक उत्सव मनाना, विविधता पूर्व कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।

3. सामाजिक गतिविधियाँ :–

विद्यालय बालकों में सामाजिक भावनाओं का विकास करता है तथा विद्यार्थियों को समाज के आदर्शों, विचारधाराओं एवं परम्पराओं आदि से अवगत कराते है।

सामाजिक गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, शिविरों का आयोजन, जागरूकता रैली निकालना, मैलों का आयोजन, एन.एस.एस. रैड–क्रॉस, ग्राम सर्वेक्षण समाज सेवा, समूह प्रार्थना, स्कांउटिंग आदि सम्मिलित है।

4. शारीरिक विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ :–

विद्यार्थी के मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ–साथ शारीरिक विकास भी आवश्यक है। और यह विकास शारीरिक गतिविधियों से सम्भव है। शारीरिक विकास सम्बन्धी गतिविधियों के अन्तर्गत खेल अन्दर व बाहर, खेले जाने वाले, दौड़, सामूहिक व्यायाम, कुश्तियां, तैराकी, योग, नौका चलाना आदि सम्मिलित है।

5. विद्यालय वातावरण सम्बन्धी गतिविधियाँ :–

विद्यालय एक औपचारिक संस्था है। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियाँ विद्यार्थी के विकास में सहायक है। विद्यालय वातावरण सम्बन्धी गतिविधियों के अन्तर्गत प्रातः कालीन सभी, उपस्थिति, अन्तरवेला, विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन आदि गतिविधियाँ सम्मिलित है।

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का महत्व :–

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियाँ बालक के सर्वांगीण विकास के प्रमुख स्त्रोत है। विद्यालय कार्यक्रम में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों के सफल नागरिक जीवन के लिये ये क्रियाऐं व्यावहारिक शिक्षा देती है। शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का विद्यालयी शिक्षा में महत्व निम्न प्रकार है।

(1) सामाजिक भावना का विकास :–

समाज सेवा शिविर स्काउटिंग, एन.एस.एस. रेड क्रास आदि के द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास किया जा सकता है। सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक बुराईयों तथा सामाजिक कुरातियों से अवगत होकर उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करता है।

(2) सर्वांगीण विकास (शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक) :–

खेलकूद, कुश्ती, तैराकी, व्यायाम आदि स्वस्थ शरीर के विकास के लिये लाभदायक गतिविधियाँ है। इसी प्रकार भाषण, नाटक, वाद–विवाद एकांकी आदि बौद्धिक एक मानसिक विकास के लिए लाभदायक है।

(3) नागरिकता की शिक्षा :–

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी में अनेक ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है जो सुनागरिक में होने चाहिए। सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व, दलीय मित्रता आदि अनेक गुणों का विकास इनके माध्यम से किया जा सकता है।

(4) अनुशासन में सहायक :–

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के द्वारा अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त की जा सकती है। जब विद्यार्थी इन रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता है तो उसे अनुशासनहीनता करने का न तो समय होता है न इच्छा होती है।

(5) नैतिकता का विकास :–

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में नैतिकता के अनेक गुणों का विकास हो सकता है। इनके द्वारा विद्यार्थी में सहयोग, त्याग, सदाचार, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, सदभावना, धैर्य, आज्ञापालन आदि नैतिक गुणों का सहज ही विकास किया जा सकता है।

(6) मनोरंजन :–

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों से विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। छात्रों में मानसिक थकान को दूर करने में यह गतिविधियाँ सहायक सिद्ध होती है।

(7) नेतृत्व की भावना का विकास :–

विद्यालयी के विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन, साहित्यक प्रवृत्तियों की व्यवस्था एवं संचालन आदि गतिविधियां विद्यार्थी में धेर्य, उत्साह, सहायता, सत्यता, ईमानदारी, निस्वार्थता आदि गुण जाग्रत होते है।

इस प्रकार विद्यालयों में शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके आयोजन से न केवल व्यक्ति का लाभ होता है वरन समाज एवं राष्ट्र का विकास भी सम्भव होता है।

शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि '' ये प्रवृत्तियां पाठ्यक्रम की अभिन्न अंग है। उनके उपयुक्त संचालन के लिए काफी ध्यान देने की तथा दूरदृष्टि की आवश्यकता है। यदि इनका ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो यह छात्रों में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण गुणों और अभिवृत्तियों का विकास कर सकती है। ''

संक्षेप में कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्रियाओं का बड़ा महत्व है। इनसे व्यक्तित्व का सन्तुलित तथा सर्वांगीण विकास सम्भव है इनके आयोजन से न केवल व्यक्ति का लाभ होता है वरन समाज एवं राष्ट्र को अच्छे नागरिक मिलते है, जो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाने का नेतृत्व गुण विकसित कर लेते है। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यावहारिक लाभ भी प्राप्त होते है।

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षक की भूमिका :–

1. शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए जिससे विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके।
2. शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों को हिस्सा लेने का अवसर दें।
3. शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए। ताकि विद्यार्थी को इसका अनुभव मिले।

4. शिक्षक को निर्देशक रिकॉर्डर, मूल्यांकन कर्त्ता, निर्णय निर्माता, प्रबन्धक, सलाहकार, प्रेरक, कम्प्यूटेटर, समन्वयक के रूप में कार्य करना चाहिए। ताकि विद्यार्थी शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के अधिक से अधिक पहलुओं का फायदा उठा सकें।

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थी की भूमिका :–

1. विद्यार्थी को अनुशासन में रहकर शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के प्रबन्ध तथा आयोजन में सहायक होना चाहिए।
2. प्रदत्त कार्य का अभ्यास विद्यार्थी को स्वयं करना चाहिए।
3. यदि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियां समुदाय की आवश्यकताओं एवं रूचि के अनुसार होता है तो छात्र अधिक सीखते है।
4. छात्रों को प्रत्येक कार्य करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए।
5. यदि शिक्षार्थी सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करता है तो अधिक सीख सकता है तथा अधिक दक्ष हो सकता है।
6. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के संचालन का दायित्व शिक्षक वर्ग को दिया जाता है। तथा इन गतिविधियों की योजना समिति में शिक्षक एवं छात्र दोनों होते है।

माध्यमिक शिक्षा :–

माध्यमिक शिक्षा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। एक और तो वह निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करती हैं, प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक प्रदान करती है, द्वितीय और तृतीय पंक्ति के नेता तैयार करती है, दूसरी और वह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करती हैं।

माध्यमिक शिक्षा को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया हैं। कार्टर वी.गुड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो मुख्य रूप से लगभग 12 से 17 के बीच की आयु वालो के लिए होता हैं।

देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास क्रम को कालखण्ड के अनुसार मुख्यतः दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है–

1. स्वतंत्रता पूर्व माध्यमिक शिक्षा
2. स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा

1. स्वतंत्रता पूर्व माध्यमिक शिक्षा :– ईस्ट इण्डिया के प्रारम्भिक शैक्षिक प्रयासों में वारेन हेस्टिंग्ज द्वारा 1791 में कलकत्ता मदरसा, जेनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज तथा लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना प्रमुख रही। इसके पश्चात् मैकाले विवरण पत्र 1835 के द्वारा लॉर्ड मैकाले विवरण पत्र 1935 के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने उच्च वर्ग हेतु शिक्षा का समर्थन किया। 1857 में कलकत्ता बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके द्वारा प्रथमतः क्रमबद्ध विद्यालयों (प्राथमिक–मिडिल–हाई स्कूल कॉलेज–विश्वविद्यालय) की स्थापना पर बल दिया गया।

लॉर्ड कर्जन ने 1902 तक स्थापित अनेक माध्यमिक विद्यालयों के गुणात्मक सुधार पर बल दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) द्वारा अवांछनीय विद्यालयों की मान्यता रद्द करने एवं माध्यमिक परीक्षा नियंत्रण हेतु सिफारिशे की गई। इसी क्रम में 1912 में सैंडलर आयोग (1917–19) ने इण्डरूमीडिएट कॉलेजों की स्थापना पर बल दिया। हटार्ग समिति (1929) ने माध्यमिक शिक्षा पर मैट्रिकुलेशन परीक्षा के अधिपत्य की निंदा करते हुए पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी व्यावसायिक विषयों को स्थान देने की अनुशंसा की।

भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकर सर जॉन सार्जेण्ट ने सार्जेण्ट योजना (1944) के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के पुनगर्ठन हेतु तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिये –

1. हाई स्कूल शिक्षा में प्रवेश चयनित हो जिसमें 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे।

2. हाई स्कूल शिक्षा के दो प्रकार साहित्यिक एवं तकनीकी या प्राविधिक निश्चिय हो।

3. प्रविष्ट विद्यार्थियों हेतु 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य हो।

शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोगों, समितियों, नीतियों का निर्माण किया गया जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है–

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)
3. कोठारी आयोग (1968 एवं 1986)

माध्यमिक शिक्षा आयोग :–

स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों मे तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों एवं माध्यमिक शिक्षा मे पर्याप्त गुणात्मक सुधार हेतु 23 सितम्बर 1952 का डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई।
माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि 7 वर्ष जुनियर (3वर्ष) एवं उच्चत्तर माध्यमिक (4वर्ष) करने के साथ इन्होनें 11 से 17 वर्षीय विद्यार्थियों हेतु माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान रखा।
कोठारी आयोग :–
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा को दो भागों निम्न माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर में वर्गीकृत करते हुए विद्यार्थियों हेतु निम्न माध्यमिक स्तर पर 1 से 3 वर्षीय व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां एवं माध्यमिक शिक्षा :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) – इस नीति के अन्तर्गत तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान विकासशील अर्थव्यवस्था एवं रोजगारपरक अवसरों के अनुरूप करने पर बल दिया गया।
2. डॉफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979) – इसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभेदीकरण द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक कुशलता, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान पर बल दिया गया।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) – राजीव गांधी द्वारा घोषित इस शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्रीय विकास मे शिक्षा की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित (1992) – पूर्व मे लागु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापत कुछ विसंगतियों व समस्याओं की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता मे गठित समिति ने विद्यालयों की सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन, कम्प्यूटर शिक्षा के प्रसार आदि सुझाव प्रस्तुत किये।

माध्यमिक स्तर :–

''माध्यमिक शिक्षा'' शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की दृढता के साथ एक कड़ी मे बाधती हैं।'' **हुमायूँ कबीर**

राजस्थान मे माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन :–

राजस्थान राज्य के पुनर्गठन क पश्चात् शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु 1950 मे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय राजस्थान की स्थापनपा बीकानेर मे की गई। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु 1997 मे प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग–अलग निदेशालय स्थापित किये गये। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

1. शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन
2. शैक्षिक प्रबन्ध व प्रशासन का दायित्व
3. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार
4. शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन
5. भाषाओं को प्रोत्साहन
6. शैक्षिक गतिविधियों का विकास
7. शिक्षा पर धन राशि का नियोजन

राजकीय विद्यालय :–

राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक स्कूल की योजना है ये सरकारी विद्यालय राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जाते है।

निजी विद्यालय :–

ऐसे विद्यायल जिनका पूरा संचालन निजी संस्था या समुदाय द्वारा होता है। ऐसे विद्यालयों में कर्मचारियों को वेतन संस्था द्वारा ही दिये जाते है। ये विद्यालय निजी विद्यालय कहलाते है। निजी विद्यालय एक व्यवसाय का रूप लेते जा रहे है परन्तु इनका उद्देश्य गुणवत्ता का यह अन्तर सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य आसानी से देखा जा सकता हैं।

1.2 समस्या का औचित्य :–

शिक्षा की प्रखरता तभी बनी रह सकती है जब वह समय व समाज के अनुकूल हो, और अनुकूलन तभी होगा, जब शिक्षक की भूमिका सही हो। वर्तमान में संख्यात्मक उन्नयन तो हो रहा है किन्तु गुणात्मकता का अभाव लगता है। आज गुणात्मक सुधार हेतु शैक्षिक क्रांन्ति का बिगुल बज रहा हैं।

पहले जहां केवल मानसिक विकास और ज्ञानार्जन ही मुख्य था, वही पर आज सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। पहले शिक्षक प्रधान था, निर्देशक था। अब मित्र है, दार्शनिक है, पथ प्रदर्शक है। बालक अब निष्क्रिय श्रोता नहीं, एक क्रियाशील ईकाई है। विद्यालय में शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होने वाली सभी क्रियाएं शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत आती है। यह गतिविधियाँ जिसमें शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत प्रयोगिक कार्य, शिक्षण विधियां, पुस्तकालय गठन सहायक सामग्री, शिक्षकों की योग्यता, साहित्यिक क्रियाएं आदि सम्मिलित है। एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक विद्यालय से सम्बन्धित आदि गतिविधियाँ है। वर्तमान में कार्यरत माध्यमिक विद्यालयों जिनमें सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों एवं उनके सचांलन में भिन्नता पायी जाती है। शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करके विद्यालय एवं शिक्षा की गुणवता में वृद्धि की दिशा में प्रयास किए जा सकते है।

शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करके भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। विभिन्न गतिविधियों के आयोजन से आपसी सहयोग, एकता व नेतृत्व की भावना पनपती है। शैक्षिक के साथ ही सह–शैक्षिक गतिविधियाँ भी आज छात्र जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में सम्मिलित हो चुकी हैं इनसे विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। उक्त विषय का चयन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य द्वारा हम शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करके

लाभकारी एवं अनुपयोगी गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिससे लाभकारी गतिविधियों को लागू किया जा सके तथा अनुपयोगी एवं अनावश्यक गतिविधियों का परिमार्जन कर उपयोगी बनाया जा सके।

शोधकर्त्री ने ''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन'' को अपने शोधकार्य हेतु शोध शीर्षक के रूप में चयनित किया हैं शोधकर्त्री को विश्वास है कि इस अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणाम शिक्षा जगत् के लिए अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होगें।

1.3 समस्या कथन :–

''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन''

1.4 शोध से उभरने वाले प्रश्न :–

1. क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जात है ?
2. क्या विद्यालय में सह–शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ?
3. क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों में अंतर पाया जाता है।?
4. क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की प्रशासनिक गतिविधियों में अंतर पाया जाता है।?
5. क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की सारंकृतिक गतिविधियों में अन्तर पाया जाता है?
6. क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की सामाजिक गतिविधियों में अंतर पाया जाता है?
7. क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शारीरिक गतिविधियों में अंतर पाया जाता है ?

1.5 तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण :–

1. शैक्षिक गतिविधियाँ :–

शैक्षिक गतिविधियों से तात्पर्य उन गतिविधियों से है, जो शिक्षा से सम्बन्धित हो तथा ऐसी क्रियाएँ जिनके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो, शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत प्रायोगिक कार्य, सैद्धान्तिक कार्य एवं अन्य कार्य सम्मिलित है।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों को अनेक नाम से जाना जाता है तथा पाठ्येतर क्रियाएं, कक्षेतर क्रियाएं, अकक्षीय, क्रियाए, पाठ्यसहगामी क्रियाएं आदि।

ऐसी क्रियाएँ जो पाठ्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती, किन्तु विद्यार्थी के विकास हेतु उनका नियोजन होता है।

बालक सर्वागींण विकास हेतु उसको अध्ययन के अतिरिक्त उपयुक्त अनुभव एवं अवसर जिस प्रवृति द्वारा प्रदान किए जाते है उन्हें सह–शैक्षिक गतिविधियाँ कहते है।

ये विभिन्न गतिविधियां है– प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, विद्यालय वातावरण सम्बन्धी गतिविधियां आदि।

3. राजकीय :–

यह संस्था सरकार द्वारा नियंत्रित एवं सचांलित होती है।

4. माध्यमिक :–

माध्यमिक शिक्षा जो मुख्य रूप से लगभग 12 से 17 वर्ष के बीच की आयु वालों के लिए होता है।

5. निजी :–

इन संस्थाओं पर सरकार का नियत्रंण न होकर किसी व्यक्ति या समूह का नियत्रंण एवं संचालन होता है।

1.6 शोध के उद्देश्य :–

1. शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

3. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

4. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण को जानना।

5. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण को जानना।

6. सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

7. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

8. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

9. सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

1.7 शोध परिकल्पनाएँ :–

1. शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

4. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

5. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

6. सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

7. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता।

8. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

9. सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नही पाया जाता है।

1.8 शोध विधि :–

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

सर्वेक्षण विधि समाज वैज्ञानिक अनुसंधान की वह शाखा है। जिसके अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक खोज की जाती है। यह विधि हमारे सम्मुख वर्तमान समस्या को प्रस्तुत करती है।

1.9 न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु नागौर जिले के कुछ गांवो राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

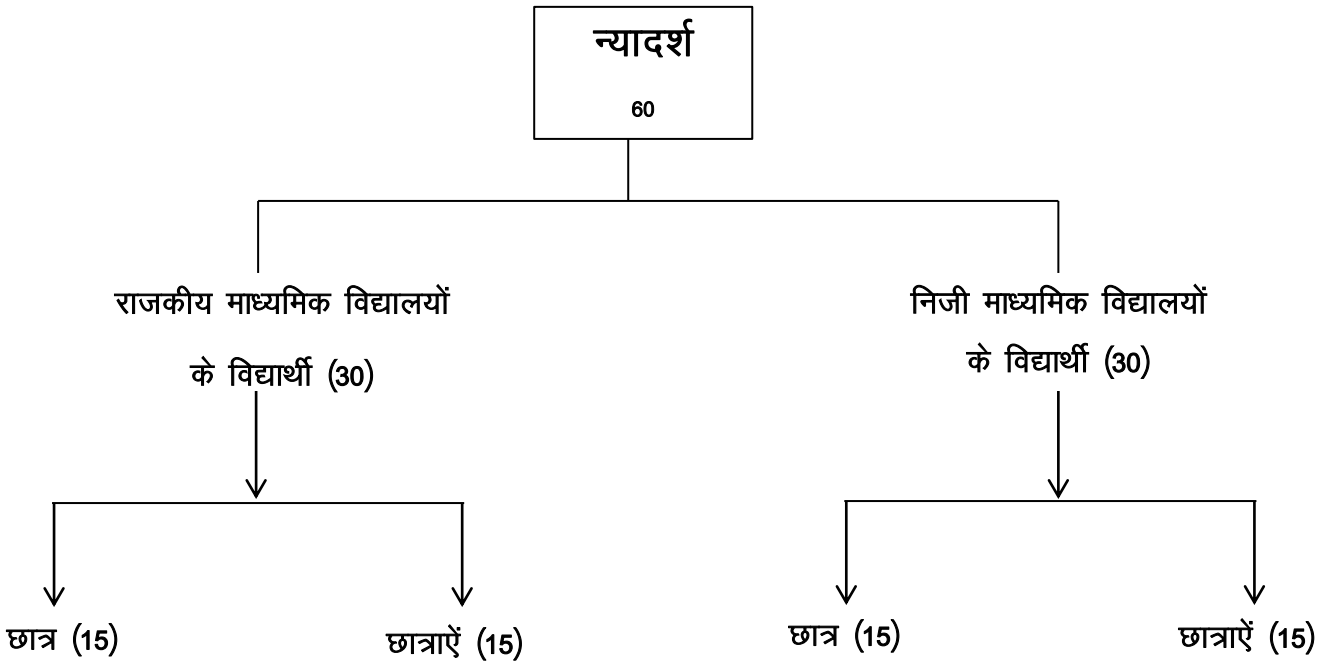

1.10 शोध का परिसीमन :–

1. प्रस्तुत शोध राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना तहसील के कुछ गांवों तक ही सीमित है।

2. प्रस्तुत शोध में दो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं दो निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं को शोध हेतु लिया गया है।

3. प्रस्तुत शोधकार्य के न्यादर्श 60 (छात्र–30 व छात्राएं–30) विद्यार्थियों तक ही सीमित है।

4. प्रस्तुत शोध शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों तक सीमित है।

1.11 शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

प्रश्नावली का अर्थ :–

प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु उपकरण के रूप में प्रश्नावली का उपयोग ही शोध कार्य के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण

माना गया है। प्रश्नावली के अन्तर्गत समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता हैं।

1.12 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

1. मध्यमानः–

मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र–

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

2. प्रमाणिक विचलन

प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने का सूत्र

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

3. 'टी'–परीक्षण

'टी' परीक्षण ज्ञात करने का सूत्र–

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_{(1)}^2}{N_1} + \frac{\sigma_{(2)}^2}{N_2}}}$$

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का पुरावलोकन

2.1 प्रस्तावना :–

शोध कार्य अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो कि प्राप्त साहित्य तथा तथ्यात्मक सामग्री के विश्लेषण से अपना घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। शोध का शाब्दिक अर्थ किसी पूर्व प्राप्त सामग्री को उससे निष्कर्षात्मक परिणाम निकालकर नवीन रूप प्रदान करने से है। मनुष्य द्वारा अर्जित सम्पूर्ण ज्ञान पुस्तक, पत्र–पत्रिकाओं तथा ग्रन्थों में संचित है। यह संचित ज्ञान नये ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को अधिक से अधिक विकसित तथा परिमार्जित करना चाहता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर अपनी शोध समस्या का क्षेत्र निर्धारित करे तथा नयी दिशा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो। प्रत्येक अनुसंधान प्रक्रिया चाहे वह वैज्ञानिक क्षेत्र में हो या मानवीय क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो उससे सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन एक महत्वपूर्ण कदम है।

उचित साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता सभी आयामों विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त करना है। और अपने ज्ञान को सही रूप प्रदान करता है।

शोधकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध सबन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है या नहीं।

किसी भी विषय के विकास में विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य का पुनर्निरीक्षण करना होती है।

2.2 सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य :–

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बधित उन सभी प्रकार की पुस्तकों ज्ञान कोषो, एवं अभिलेखो आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य का आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। किसी भी क्षेत्र का साहित्य के अध्ययन के बिना शोधकार्य प्रभावहीन हो सकता है।

➢ **मूले के अनुसार :–**

''सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एक ऐसे लैम्प के समान है जो शोधकर्ता को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है।''

2.3 अर्थ एवं परिभाषाएं :–

''सम्बन्धित साहित्य वह सामग्री है जो समस्या से सम्बन्धित हो तथा वह साहित्य जो अनुसंधान की रूपरेखा बनाने एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करे, वह सम्बन्धित साहित्य कहलाता है।''

सम्बन्धित साहित्य का अर्थ अनुसंधान से सम्बन्धित उन सभी पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र–पत्रिकाओं प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है। जिनके अध्ययन से अध्ययनकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने से आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता अपने अध्ययन को उच्च शिखर तक ले जाता है। जहां उसे कोई उपलब्धियां प्राप्त होती है।

➢ **चार्टर बी. गुड के अनुसार :–**

साहित्य के आधार पर भण्डार की कुंजी, अर्थपुर्ण और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्त्रोत का द्वार खोल देती है, तथा समस्या के परिभाषीकरण, अध्ययन विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करता है। वास्तव में रचनात्मक मौलिक चिन्तन आदि के विकास हेतु विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन आवश्यक है।

➢ **जॉन डब्लयू वेस्ट के अनुसार :–**

''अनुसंधान के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। यद्यपि इन क्षेत्र में समय अधिक लगता है संबंधित साहित्य के ज्ञान होने पर यह जानने में सहायता मिलती है कि पहले क्या ज्ञात किया जा चुका है। इस परिणाम को ज्ञात करने के लिए कौनसी समस्या का समाधान अभी शेष है।''

➢ **रमन के अनुसार :–**

''नियमानुसार कोई भी शोध सम्बन्धित लिखित विवरण तब तक उपयुक्त नहीं समझा जाता तब तक कि उसे शोध से सम्बन्धित साहित्य के आधार पर विवरण में न हो।''

➢ **डब्ल्यू आर. बर्ग के अनुसार :–**

''किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य की प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की सम्भावना है अथवा यह पुनरावृति भी हो सकती है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर शैक्षिक अनुसंधान में साहित्य का पुरावलोकन ही उस दिशा में हुए कार्यो की प्रकृति को जानने में सहायक होती हे। पुनरावलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता शोध के क्षेत्र में हुए विगत शोधकार्यो को समझ पाते है। इसके द्वारा ही विगत शोध अध्ययनों के साधनों, उपकरणों न्यादर्श और निष्कर्षो आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

2.4 सम्बन्धित साहित्य के उद्देश्य :–

सम्बन्धित साहित्य के उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. यह सिद्धान्त विचार, व्याख्याएं अथवा परिकल्पनाएं प्रदान करता है जो नयी समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते है।

2. सम्बन्धित साहित्य परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पनाएं बना सकता है।

3. यह समस्या के समाधान के लिए उचित विधि प्रक्रिया तथ्यों साधन और सांख्यिकी तकनीक का सुझाव देता है।

4. यह परिणामों के विश्लेषण में उपयोगी निष्कर्षो और तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है सम्बन्धित साहित्य अध्ययन से निकाले गये निष्कर्षो की तुलना की जा सकती है।

5. सम्बधित साहित्य शोध के क्षेत्र में शोधकर्ता की निपुणता और सामान्य ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है।

2.5 संबंधित साहित्य के लाभ :–

संबंधित साहित्य के अध्ययन से अध्ययनकर्ता को निम्नलिखित लाभ है–

1. यह शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्ता के ज्ञान तथा उसकी कुशलता में वृद्धि करता है।

2. संबंधित साहित्य अनावश्यक पुनरावृति से बचाता है।

3. यह सभी प्रकार के विज्ञान तथा शास्त्र अनुसंधान कार्य का आधार होते है।

4. संबंधित साहित्य से पहले एकत्रित किए गए आंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते है।

5. संबंधित साहित्य समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होते है।

6. सम्बन्धित साहित्य समस्या के अध्ययन में अन्तः दृष्टि एवं सूझ पैदा करता है।

7. सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से अनुसंधानकर्ता के समय की बचत होती हैं

8. सम्बन्धित साहित्या समस्या के सीमांकन में सहायक होते है।

9. सम्बन्धित साहित्य से अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।

10. भावी शोध हेतु उचित सहायता प्रदान करता है।

2.6 सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत :–

स्त्रोत मुख्य दो प्रकार के होते है–

प्राथमिक स्त्रोत

↓

पत्र – पत्रिकाएँ

↓

ग्रन्थ

↓

स्नातक डॉक्टर या अन्य शोध काा प्रबन्ध

↓

विविध स्त्रोत, प्रकाशन आदि

द्वितीयक स्त्रोत

↓

सर्वे बुक

↓

इंडियन बुक डिसटेशन

↓

एब्सट्रेक्ट राजस्थान शिक्षा अनुसंधान आदि

2.7 सम्बन्धित साहित्य का महत्व :–

सम्बन्धित साहित्य शोधकार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में शोधकर्ता को यह ज्ञात नही हो सकता कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले है, जब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न शोध कार्य की रूपरेखा ही तैयार कर सकता है। अतः सम्बन्धित साहित्य के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. सम्बन्धित साहित्य से शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों से शोधकर्ता अवगत हो जाता है।

2. यह अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। प्रत्येक प्रत्यय और अवधारणा को स्पष्ट करता हैं

3. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण, अनुसंधान के लिए अपनाई जाने वाली विधि, प्रयोग में लाए जाने योग्य उपकरण तथा आंकड़ो के विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाली उपयुक्त विधियों को स्पष्ट करता है।

4. शोधकर्ता को यह ज्ञात है कि सम्बन्धित क्षेत्र में अभी तक कितना कार्य हो चुका है, कितना हो रहा है व उसे कौनसे क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए।

5. पूर्व निरीक्षण द्वारा अवांछित तत्वों को निकाल दिया जाता है तथा शोधकार्य को महत्वपूर्ण व संक्षिप्त बनाने में सहायता मिलती हैं

6. सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से एक समस्या पर दोबारा अध्ययन करने से रोका जा सकता है।

7. सम्बन्धित साहित्य के अवलोकन से शोधकर्ता जागरूक हो जाता है। एवं समस्या के सभी पदों पर सोचता है।

8. सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से अध्ययन की विधि में सुधार पर श्रम की बचत होती है तथा अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास पैदा होता है।

9. सम्बन्धित साहित्य के द्वारा समस्या के परिभाषीकरण अवधारण बनाने में सहायता, समस्या के सीमांकन और परिकल्पना में सहायता करता है।

2.8 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन की सीमाएं :–

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन जहां अनुसंधान कार्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है वही इसकी कुछ सीमाएं भी है जो इस प्रकार है–

1. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन हमारे अन्दर उस समस्या के प्रति एक विशेष प्रकार का सुझाव और पक्षपात का भाव उत्पन्न कर सकता है। जिसके कारण हमारी सम्पूर्ण क्रिया पक्षपातपूर्ण होने का भय रहता है।

2. अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से अपने अध्ययन में प्राप्त निष्कर्ष की तुलना करते समय निम्नलिखित तथ्यों की अपेक्षा हो सकती है–

- पूर्व अनुसंधानकर्ता की अवधारणाएं क्या थी ?
- उसके न्यादर्श की विशेषताएं क्या थी ?
- उसके द्वारा प्रयोग किया गया। उपकरण किसी सीमा तक विश्वनीय और वैद्य था ?

- निष्कर्षो के निकालने में उसने किस सीमा तक उपयुक्त सांख्यिक एवं तार्किक विधियों का प्रयोग किया है ?

2.9 शोध से सम्बन्धित साहित्य :–

- **चनेजा, संगीता (2010–11) :–** ''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अवकाशकालीन गतिविधियों का शैक्षिक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. अवकाशकालीन क्रियाओं का खेल सामग्री गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

2. अवकाशकालीन गतिविधियों में विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के विकास में योगदान का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में सृजनात्मक गतिविधियों में सार्थक भिन्नता नहीं पायी जाती है।

2. अवकाशकालीन गतिविधियों का पाठ्योतर अध्ययन सम्बन्धी गतिविधियों में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

- **ठाकुर सुश्री रेखा (2006) :–** ''विद्यार्थियों की आदतों एवं बुद्धिलब्धि का उनकी गणितीय निष्पति पर प्रभाव का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. राजकीय विद्यालयों के छात्रों की बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना।

2. गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों की बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. श्रेष्ठ तीव्र सामान्य बुद्धि स्तर श्रेणीय, गैर सरकारी विद्यालय के छात्रों का प्रतिशत है।

2. मंद, सामान्य सीमवर्ती एवं उतम बुद्धि वाले छात्र गैर सरकारी विद्यालय है।

3. निम्न बुद्धि वाले छात्र सरकारी विद्यालयों के है।

- **शर्मा रविकान्त (1992)**

''राजकीय व निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलनात्मक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।

2. निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. निजी विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि राजकीय विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि से उच्च पाई गई।

2. छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि छात्रों की तुलना में उच्च पाई गई।

➢ **त्रिवेदी रोहनी ए. (2012) :–**

''विभिन्न स्तर के शिक्षको की शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृति का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय की अभिवृति का अध्ययन करना।

2. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति उच्च पाई गई।

2. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

3. उच्च माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृति पर कोई अन्य प्रभाव नहीं पाया गया।

➢ **शर्मा आर. के (1978) :–**

विभिन्न विद्यालयी वातावरण में अध्ययनरत किशोरो की व्यवहार शैली को प्रभावित करने वाले कारको का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. विभिन्न विद्यालयी वातावरण में अध्ययनरत सामान्य किशारों की व्यवहारशैली का अध्ययन करना।

2. विभिन्न विद्यालयी वातावरण में अध्ययनरत सामान्य किशोर–किशोरियों की व्यवहार के क्षेत्रों में आन्तरिक सम्बन्धों का अध्ययन।

निष्कर्ष :–

1. विद्यालयों का सामाजिक, आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के सोशियों मैट्रिक स्तर को प्रभावित नही करता है।

2. किसी भी प्रकार के विद्यालयी वातावरण में सामान्य किशोर अपने सहपाठियों से अस्वीकृत नही हैं

- **मुकेश चन्द्र (2006) :–** ''छात्रावास व गैर छात्रावास में अध्ययनतर छात्र–छात्रओं में दिनचर्या एवं समायोजन का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों की दिनचर्या एवं समायोजन समस्याओं का अध्ययन करना।

2. गैर छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों की दिनचर्या एवं समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करनां

निष्कर्ष :–

1. सहमति के प्रति गैर छात्रावासीय छात्र–छात्राओं का मत प्रतिशत छात्रावासीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा अधिक है।

2. असहमति के प्रति गैर छात्रावासीय छात्र–छात्राओं का मत प्रतिशत छात्रावासीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा अधिक है।

- **सिन्हा रश्मि (2007) :–** ''अनुदानित एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन।''

उद्देश्य :–

1. अनुदानित एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करना।

2. अनुदानित एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा तुलना करना।

निष्कर्ष :–

1. अनुदानित एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

2. सामूहिक रूप से अनुदानित एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा में कोई अंतर नहीं पाया गया।

- **उपाध्याय अनिता (2008) :–** ''नवोदय विद्यालयों एवं सामान्य विद्यालयों की अध्ययन आदतों एवं समायोजन का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव''

उद्देश्य :–

1. विद्यार्थियों के सामान्य समायोजन का अध्ययन करना।

2. विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. कुल न्यादर्श विद्यार्थियों के सामान्य समायोजन एवं उसके आयामों पर समायोजन औसत स्तर का है।

2. कुल न्यादर्श विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर लिंग भेद का सार्थक प्रभाव नहीं होती है।

- **चौधरी, सुनीता (2011) :–** ''केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा बारहवी के राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम व मूल्याकंन का तुलनात्मक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन व कार्यो का अध्ययन करना।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा बारहवीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन व कार्यो में सह–सम्बन्ध पाया गया।

2. केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों की भाषा शैली उत्कृष्ट है।

- **श्रीमाली सुमन (2011) :–**''एस. आ. ई. आर. टी. द्वारा संचालित गतिविधियाँ, एक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. ''एस. आ. ई. आर. टी. द्वारा संचालित गतिविधियाँ का एक अध्ययन करना''
2. शैक्षिक आयोजन एवं शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन करना।
3. शिक्षाा क्रम की नई विधियों का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. :–''एस. आ. ई. आर. टी. द्वारा संचालित गतिविधियाँ प्रशासनिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है।''

2. :–''एस. आ. ई. आर. टी. द्वारा संचालित गतिविधियाँ संस्था प्रधानो के लिए मार्ग दर्शन का कार्य करती है।

- **विजय लक्ष्मी (2012) :–** मुस्लिम मदरसों एवं सामान्य विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययन विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. मुस्लिम मदरसों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करना।
2. मुस्लिम मदरसों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
3. सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. मुस्लिम मदरसों एवं सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में कोई अन्तर नहीं है।

2. मुस्लिम मदरसों एवं सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में कोई अन्तर नहीं है।

- **भोजक, श्रीमति दुर्गा (2016) :–** ''सरदारशहर एवं नवलगढ़ के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की शैक्षिक क्रियाओं और पाठ्यसहगामी क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. सरदारशहर एवं नवलगढ़ के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक क्रियाओं का अध्ययन करना।

2. सरदारशहर एवं नवलगढ़ के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों की पाठ्यसहगामी क्रियाओं का अध्ययन करना।''

निष्कर्ष :–

1. सरदारशहर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालियों के शिक्षकों की शैक्षिक क्रियाएं उच्च स्तर की पायी गयी।

2. सरदारशहर एवं नवलगढ़ के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों की पाठ्यसहगामी क्रियाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

- **गहलोत, संतोष (2013) :–** ''पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बालकों के संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. पाठ्य–सहगामी क्रियाओं के सम्बन्ध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की राय का अध्ययन।

2. पाठ्य–सहागामी क्रियाओं से छात्र–छात्राओं की गतिविधियों के प्रति रूचि का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में पाठ्य–सहगामी क्रियाओं के प्रति भिन्नता पाई जाती है।

2. शहरी क्षेत्र की छात्राओं तथा ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की पाठ्य–सहगामी गतिविधियों के प्रति सार्थक भिन्नता पाई जाती है।

- **माथुर मेघना (2011–12) :–** ''केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा सातवी की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. सी. बी. एस. ई तथा आर. बी. एस. ई की कक्षा सातवीं की इतियास की विषय वस्तु के प्रति विद्यालय के विषयाध्यापकों के अभिमत का अध्ययन करना।

2. सी. बी. एस. ई तथा आर. बी. एस. ई की कक्षा सातवीं की इतिहास की पाठ्य चर्चा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष में बताया गया कि बी. एस. ई तथा आर. बी. एस. ई के पाठ्यक्रम अपर्याप्त है तथा उसमें कुछ महतवपूर्ण अध्याय अथवा भागों को पाठ्यक्रम में जोड़े जाने का सुझाव दिया।

- **आलम, एम, एस. (2001) :–** ''उत्तरप्रदेश के मुस्लिम व गैर मुस्लिम विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, दुश्चिता स्तर व उपलब्धि अभिप्रेरणा का शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध का तुलनात्मक अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध का अध्ययन करना।

2. विद्यार्थियों की दुश्चिंता स्तर का शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को जाननां

निष्कर्ष :–

1. मुस्लिम व गैर मुस्लिम विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया।

2. गैर मुस्लिम विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि मुस्लिम विद्यार्थियों से उच्च पायी जाती है।

- **पारीक , ममता (2003) :–** ''बोध शिक्षा समिति एवं सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सृजनशीलता व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. सृजनशीलता, व्यक्तित्व गुणों एवं शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन करना।

2. विद्यार्थियों की बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के सह–संबंध का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. बुद्धिलब्धि का व्यक्तिव पर प्रभाव देखा गया।

2. सृजनशीलता बुद्धिलब्धि से प्रभावित होती है।

- **कुमार गौतम (2000) :–** ''किशारों की शैक्षिक उपलब्धि में भावात्मक बुद्धि एवं स्वधारणा के आधार पर संबंध का अध्ययन''

उद्देश्य :–

1. किशोर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में भावात्मक उपलब्धि व स्वधारणा के आधार पर संबंध का अध्ययन करना।

2. किशोर छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में भावात्मक उपलब्धि व स्वधारणा के आधार पर संबंध का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. निष्कर्ष रूप में उन्होने पाया कि दोनो समूहो की भावात्मक उपलब्धि व शैक्षिक में सार्थक अन्तर पाया गया।

2. स्वधारणा व भावात्मक उपलब्धि में सह–संबंध पाया गया।

तृतीय अध्याय

अनुसंधान शोध विधि व उपकरण

3.1 प्रस्तावना :–

विवरणात्मक सर्वेक्षण हो या सामान्य सर्वेक्षण, अनुसंधानकर्ता का प्रथम कार्य है जिसमें वह अधिक प्रबल निमंत्रण व वस्तुपरक विधि प्रयोग में ला सकें। विवरणात्मक सर्वेक्षण व अध्ययन मानव व्यवहार से सम्बन्धित बहुमूल्य ज्ञान का सीधा साधन एवं स्त्रोत हैं।

किसी भी समस्या के अनुसंधान के नवीन तथा अज्ञात तत्व संकलित करने के लिए विधि एवं उपकरण की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में दत्तों का संकलन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष न तो विश्वसनीय प्राप्त होते है और न ही, व्यावहारिक। अतः शोध की गुणवता, प्राथमिकता एवं उपादेयता के लिए उचित विधि व योग्य उपकरण के चयन की आवश्यकता होती हैं।

किसी भी अनुसंधान की सफलता एवं असफलता उसमें प्रयुक्त विधि उपकरण व प्रविधि के चयन पर निर्भर करती है। अतः यदि प्रयुक्त विधि अनुसंधान के अनुरूप हो तो उससे प्राप्त प्राप्तांको के द्वारा निष्कर्षो को प्राप्त करना व उनकी सत्यता की पुष्टि करना संभव हो पाता है अन्यथा नहीं। वर्तमान लघु शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है एवं विविध उपकरणों एवं प्रविधियों के द्वारा सत्यता का विश्लेषण करने का प्रयास इस अध्याय का उद्देश्य हैं।

वेस्ट के अनुसार :–

''शोध कार्य में प्रयुक्त प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन होना आवश्यक है दत्त सामग्री के स्वरूप की पहचान इस सामग्री को एकत्र करने में प्रयुक्त साधनों द्वारा की जाती है। अतः इन साधनों की वर्णन एवं इनकी प्रमाणिकता का ज्ञान कराने के लिए मूल्यांकन आवश्यक हैं।''

योजना आयोग के अनुसार :–

''योजना वास्तव में सुनिश्चित लक्ष्यों के सन्दर्भ में अधिकतम लाभ या उपयोगिता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साधनों को संगठित करने तथा उन्हें उपयोग में लाने की पद्धति हैं।''

3.2 अनुसंधान का अर्थ :–

अनुसंधान हिन्दी भाषा का यह शब्द–''अनु'' और ''संधान'' से मिलकर बना है। किसी विषय या लक्ष्य या समस्या पर ''अनु'' अर्थात् बार बार ''संधान ''निशाना लगाना'' अथवा ''सजृन करना ''ही अनुसंधान हैं किसी समस्या विशेष के समाधान हेतु अपनी क्रियाविधि के छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटकर एक निश्चित क्रमबद्ध मे कार्य करते हुए समस्या विशेष का मौलिक समाधान खोजना ''अनुसंधान'' कहलाता हैं।

आंग्ल भाषा में अनुसंधान Research को कहा जाता है यह दो शब्दों Re+ Search से मिलकर बना है Re का अर्थ है 'बार–बार' और Search का अर्थ है 'खोजना'। अग्रेंजी का यह शब्द शोध को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके अन्तर्गत शोधकर्ता किसी समस्या से सम्बन्धित तथ्य को बार–बार देखते है, जिससे उसके सम्बन्ध मे प्रदत्तों को एकत्र करके निष्कर्ष निकाला जा सकें।

3.3 अनुसंधान की परिभाषाएँ :–

अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैंः–

1. डब्लू.एम.टेवर्स के अनुसार :– ''शिक्षा अनुसधंान वह प्रक्रिया है, जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती हैं।''

2. जॉन. डब्लू. बेस्ट के अनुसार :– ''अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक विश्लेषण विधि को प्रयुक्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते है और उनका औपचारिक लेख तैयार किया जाता हैं।''

3. जॉर्ज जे.मूले के अनुसार :–''शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग अर्थापन को अनुसंधान कहते है। इसके विपरित

किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा मे विकास किया जाये तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं।''

4. पी.एम.कुक के अनुसार :– ''अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धान्तों तथा अर्थो को ज्ञात किया जाता है, अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रमाणित तथा पुष्टि योग्य होता है, जिससे ज्ञान वृद्धि हो सकें।''

3.4 तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण :–

1. शैक्षिक गतिविधियाँ :–

शैक्षिक गतिविधियों से तात्पर्य उन गतिविधियों से है, जो शिक्षा से सम्बन्धित हो तथा ऐसी क्रियाएँ जिनके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो, शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत प्रायोगिक कार्य, सैद्धान्तिक कार्य एवं अन्य कार्य सम्मिलित है।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों को अनेक नाम से जाना जाता है तथा पाठ्येतर क्रियाएं, कक्षेतर क्रियाएं, अकक्षीय, क्रियाए, पाठ्यसहगामी क्रियाएं आदि।

ऐसी क्रियाएँ जो पाठ्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती, किन्तु विद्यार्थी के विकास हेतु उनका नियोजन होता है।

बालक सर्वागींण विकास हेतु उसको अध्ययन के अतिरिक्त उपयुक्त अनुभव एवं अवसर जिस प्रवृति द्वारा प्रदान किए जाते है उन्हें सह–शैक्षिक गतिविधियाँ कहते है।

ये विभिन्न गतिविधियां है– प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, विद्यालय वातावरण सम्बन्धी गतिविधियां आदि।

3. राजकीय :–

यह संस्था सरकार द्वारा नियंत्रित एवं सचांलित होती है।

4. माध्यमिक :–

माध्यमिक शिक्षा जो मुख्य रूप से लगभग 12 से 17 वर्ष के बीच की आयु वालों के लिए होता है।

5. निजी :–इन संस्थाओं पर सरकार का नियत्रंण न होकर किसी व्यक्ति या समूह का नियत्रंण एवं संचालन होता है।

3.5 परिकल्पना :–

परिकल्पना अनुसंधान की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण एवं परिभाषीकरण के पश्चात् पूर्ण चिंतन कर लिया जाता है कि कि इस समस्या का यह कारण हो सकता है। यह निश्चित कर लेने के पश्चात् समस्या का परीक्षण प्रारम्भ हो जाता हैं।

परिकल्पना सोच–विचार कर बनाई जानी चाहिए। शीघ्रता से बनाई गई परिकल्पना व्यर्थ होती है तथा समय व श्रम भी नष्ट होता है। यह होना चाहिए कि सर्वप्रथम समस्या का उचित रूप से विश्लेषण कर लिया जाए सावधानी से उसे परिभाषित किया जाए और तब परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाए। परिकल्पना के निर्माण के बिना कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता और न ही वैज्ञानिक ढंग का अनुसंधान ही सम्भव है। वास्तव में परिकल्पना के बिना अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया हैं।

परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषाएँ :–

परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है, जो समस्या के समाधान की अवधारणा है और शोधकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता हैं। परिकल्पना के कथन का स्वरूप एक व्याख्या के रूप में होता है जो अवलोकन या सिद्धान्तों पर आधारित हैं। जब किसी संभावित सिद्धान्तों की प्रदत्तों तथा प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है शोध की समस्त क्रियाएं परिकल्पना पर केन्द्रित होती हैं। परिकल्पना शोधकर्ता को उत्तेजना प्रदान करती है। परिकल्पना की पुष्टि से शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

परिकल्पना का अग्रेंजी में Hypothesis कहते है जो दो शब्दों से मिलकर बना है हाइपो + थीसिस। हाइपों का अर्थ होता है–सम्भावित या उसकी पुष्टि की जाए, थीसिस का अर्थ होता है–समस्या क समाधान का कथन।

इस प्रकार हाइपोथीसिस का शाब्दिक अर्थ उस संभावित कथन से है जो समस्त समाधान प्रस्तुत करता है। परिकल्पना ऐसे समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जा सकती हैं।

परिभाषाएँ :–

1. जेम्स ई.ग्रीटन का कथन है :– ''परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है, जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती हैं।''
2. टाउन सैण्ड के विचारानुसारः– ''परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर हैं।''
3. मैकगुइगन के अनुसार :– ''परिकल्पना दो या अधिक चरो के कार्यगत संबंधो का परीक्षण योग्य कथन हैं।''
4. लुण्डबर्ग के अनुसार :–''परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है जिसकी वैद्यता की जांच की जाती है। इसकी प्राथमिक अवस्था एक काल्पनिक समाधान के रूप में होती है जो बाद में शोधकार्यो का आधार हो जाता हैं।''

परिकल्पना का महत्व :–

डी.बी. वेन डेलन के अनुसार परिकल्पना का महत्व इस प्रकार है–

1. कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं।
2. तथ्यों को गहन रूप से समझने मे सहायक हैं।
3. शोध कार्य को दिशा प्रदान करती हैं।
4. तथ्यों की सार्थकता निर्धारित करती हैं।
5. नये शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करती हैं।
6. निष्कर्षो हेतु आधार प्रदान करती हैं।
7. समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है।

उत्तम परिकल्पना की विशेषताएँ :–

मेकगुइमन के अनुसार एक उत्तम परिकल्पना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती है–

1. परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए।

2. परिकल्पना सामान्यतः अपने अनुसंधान क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य परिकल्पनाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

3. परिकल्पना अपव्ययी होनी चाहिए।

4. परिकल्पना तर्क संगत सरलता होनी चाहिए।

5. परिकल्पना से अनेक परिणाम उपलब्ध होने चाहिए।

6. परिकल्पना की पुष्टि व अस्वीकृति की प्रसम्भाव्यता लगभग समान होनी चाहिए।

7. परिकल्पना प्रत्ययात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो।

8. परिकल्पना सत्यापनीय दृष्टि से स्पष्ट हो।

9. परिकल्पना ऐसी हा जिसके लिए आंकड़े प्राप्त हो सके।

10. शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम होती हैं।

11. परिकल्पना किसी सिद्धान्त से समर्पित हो।

परिकल्पनाओं के प्रकार :–

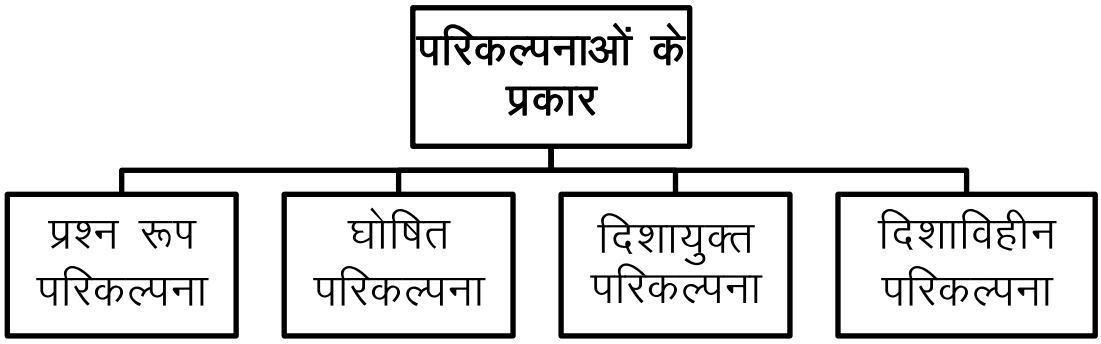

परिकल्पना रूप व सन्दर्भ के आधार पर कई प्रकार की होती है। परिकल्पना का रूप उसके कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। व्यावहारिक परिकल्पना एक ऐसे संभावित समाधान को प्रकट करती है जिसकी पुष्टि के लिये प्रमाण न उपलब्ध होते हैं।

1. प्रश्न रूप परिकल्पना :– प्रश्न रूप परिकल्पना मे विशिष्टकरण होता है और नहीं भी होता है। इस प्रकार की परिकल्पना का प्रयोग सरल शोध कार्यो मे किया जाता हैं।

2.घोषित परिकल्पना :– घोषित परिकल्पना में चरों के सह–सम्बंध की घोषणा की जाती है पूर्व अपेक्षित सह–संबंध के अन्तर की परिकल्पना घोषित कथन के रूप में विकसित की जाती हैं।

3. दिशायुक्त परिकल्पना :– जब किसी सम्भावित समाधान की अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है तब उसे दिशायुक्त परिकल्पना कहा जाता हैं।

इसमें चरों के सह–सम्बन्ध को अपेक्षित रूप में प्रगट किया जाता है। इसी प्रकार चरों के अन्तर को विशिष्ट रूप से लिखते है। दिशायुक्त परिकल्पना को बिना सैद्धान्तिक आधार अथवा औचित्य को वैध माना जाता हैं।

4. दिशाविहीन परिकल्पना :– दिशा विहीन परिकल्पना का शून्य परिकल्पना भी कहते है। इस प्रकार की परिकल्पना को नकारात्मक रूप में प्रयुक्त किया गया हैं चरों के अन्तर को भी नकारात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे –दो समूहों या दो चरो ंमे कोई सह–सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई अन्तर है तो वय संयोगवश न्यादर्श की त्रुटि के कारण हो सकता है। इस प्रकार का परिकल्पना को कोई सैद्धान्तिक आधार या औचित्य प्रस्तुत नहीं होता है। इनके लिए सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती हैं।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1. शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

4. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

5. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

6. सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

7. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता।

8. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

9. सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नही पाया जाता है।

3.6 न्यादर्श :–

व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यो मे न्यादर्श का विशेष महत्व होता हैं। इसके बिना कोई शोध कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। यद्यपि विज्ञान के विषयों में भी न्यादर्श का प्रयोग होता है। परन्तु न्यादर्श के चयन की समस्या नहीं होती हैं।

किसी भी अनुसंधान कर्ता के लिए सम्भव नहीं है कि वह जनसंख्या के सभी व्यक्तियों को अपनी खोज का विषय बना सके, इसीलिये जनसंख्या मे से कुछ इकाईयों का चयन किया जाता है। जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करे और जिन पर किये गये अध्ययन पर समग्र के लिए निष्कर्ष निकाले जा सके। अतः अध्ययन के लिये चयनित ऐसे व्यक्तियों के समूह को ही न्यादर्श कहते हैं। इस प्रतिदर्श के आधार पर ही अध्ययगत निष्कर्ष घटित होते है तथा इन्ही प्रतिदर्श आधारित निष्कर्षो के आधार पर समविष्ट के विषय मे उद्देश्यों के अनुरूप सामान्यीकरण किया जाता हैं।

न्यादर्श की परिभाषायें :–

पी.वी.यंग के अनुसार :–''एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह कारक का लघु–चित्र होता हैं।''

बोगार्डस के अनुसार :–''पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह से निश्चित प्रतिशत की इकाईयों का चयन करना ही प्रतिदर्श प्रक्रिया है।''

गुड एवं हैट के अनुसार :–''एक न्यादर्श जैसा कि नाम स्पष्ट करता है, सम्पूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व हैं।''

न्यादर्श की आवश्यकता एवं महत्व :–

व्यावहारिक एवं सामाजिक विषयों के शोध कार्यो में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोध कार्यो को पूरा नहीं किया जा सकता हैं। न्यादर्श के चयन की आवश्यकता के कारण निम्न हैं–

1. समय की बचत होती हैं।
2. मितव्ययी विधि होती हैं।
3. अधिक सत्यता का ज्ञान होता हैं।
4. प्रशासनीय सुविधाएं हो जाती हैं।
5. विस्तृत जानकारी हो जाती हैं।
6. सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन सम्भव हैं।
7. विश्वनीयता की सम्भावना अधिक रहती हैं।
8. प्रायोगिक अध्ययन मे उपयुक्तता।

इस प्रकार न्यादर्श द्वारा बोधगम्यता भी परिलक्षित होती है। साथ ही संगणना विधि द्वारा अध्ययन करने से मुक्ति मिलती हैं।

न्यादर्श की विशेषताएं :–

1. उच्च विश्वसनीयता का स्तर होता हैं।
2. इकाइयों को चुने जाने की समान सम्भावना होती हैं।
3. प्रतिचयन अभिनति रहित होना चाहिए।
4. अध्ययन इकाइयों का अनुपात
5. अध्ययन उद्देश्यों के अनुरूप विश्वसनीयता
6. प्रतिनिधित्व स्वरूप
7. उचित संख्या में अध्ययन इकाईयां
8. तर्क पर आधारित होना।

न्यादर्श की सीमाएं :–

1. पक्षपात प्रतिचयन की सम्भावना।

2. विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता।

3. प्राचल सम्बन्धी यथार्थ ज्ञान का अभाव।

4. न्यादर्श इकाइयों की अस्थिरता।

5. प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई।

6. प्रतिदर्श के चयन की असम्भावना।

7. भ्रमात्मक निष्कर्ष।

न्यादर्श के प्रकार

असम्भाव्य न्यादर्श

1. उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श
2. अंश न्यादर्श
3. आकस्मिक न्यादर्श
4. सुविधानुसार न्यादर्श
5. स्वेच्छानुसार न्यादर्श

सम्भाव्य न्यादर्श

1. अनियत या संयोगिक
2. वर्गबद्ध न्यादर्श
3. क्लस्तर न्यादर्श
4. द्विस्तर न्यादर्श

न्यादर्श की विधियां :–

जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यादर्श प्राप्त करने की अनेक विधियां विकसित हो गई हैं।

1. यादृच्छिक न्यादर्श
2. वर्गीकृत या कोटा न्यादर्श
3. आनुंषगिक न्यादर्श

अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श विधि :–

प्रस्तुत लघु शोध कार्य के लिए शोधकर्त्री द्वारा यादृच्छिक विधि का चयन किया गया है। क्योंकि इस विधि द्वारा न्यादर्श में से प्रत्येक के चुने जाने की सम्भावना रहती है। इसमें न तो समष्टि को स्तर मे बांटा जाता है न ही शोधकर्त्री की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। इसलिए न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिाक विधि का चयन किय गया हैं।

प्रस्तुत शोध मे यादृच्छिक विधि द्वारा लिए गये न्यादर्श :–

न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है–

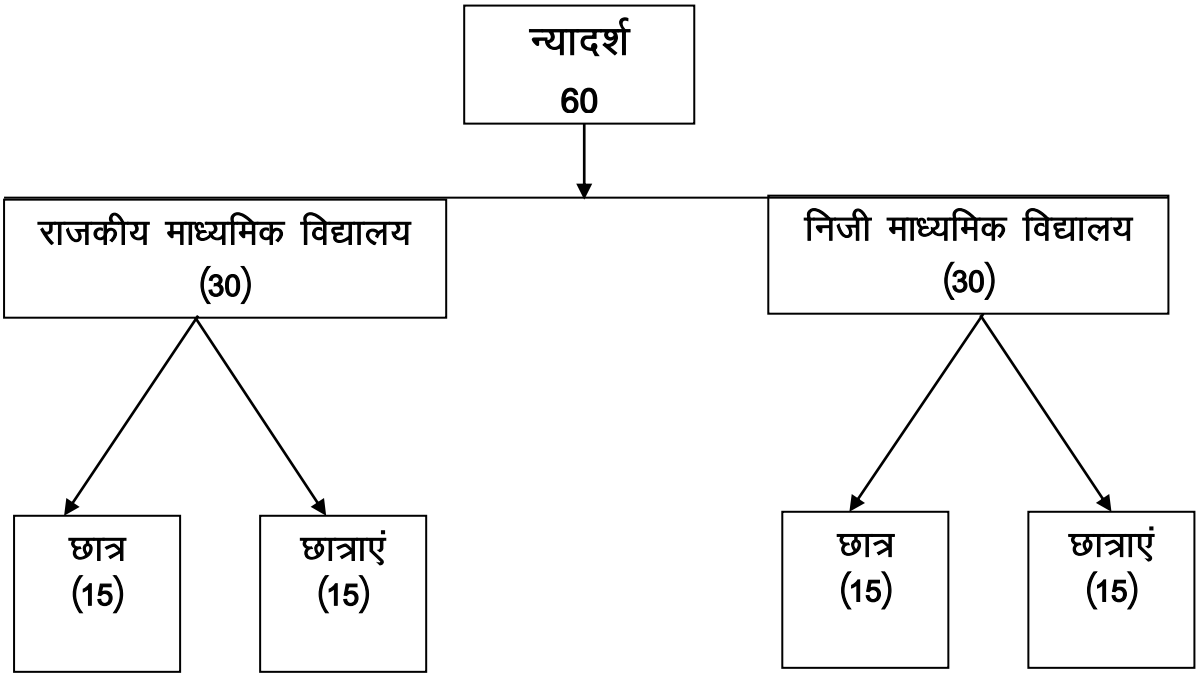

प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान राज्य के नागौर जिले के डीडवाना तहसील व गांवों के राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के 60 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया हैं। जिसमे 30 छात्राएं एवं 30 छात्रों को सम्मिलित किया गया हैं।

3.7 चर :–

वैज्ञानिक शोधकार्यो मे चरों का अत्यधिक महत्व है, चरों की प्रकृति गुणात्मक न होकर परिमाणात्मक होती है चर को परिवर्ती और चल राशि भी कहते है। चर का शाब्दिक अर्थ परिवर्तित होना है। चर की मात्रा में परिवर्तन होना चर का एक आवश्यक गुण हैं। परिकल्पना चरों की भूमिकाओं को निर्धारित करती हैं। शोध के अनुसार चरों की भूमिका बदलती रहती हैं।

परिभाषा :–

1. डी.अमेटो (1970) के अनुसार :– ''चर किसी वस्तु घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण हैं।''

2. गैरेट के अनुसार :– ''चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा मे परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता हैं।''

3. एडवड्र्स (1971) के अनुसार :– ''चर से हमारा अभिप्राय किसी भी चीज से है जिसका हम निरिक्षण कर सकते हैं और वह उस प्रकार की हो कि इसकी इकाई निरीक्षण के विभिन्न वर्गो में कही भी वर्गीकृत किया जा सकें।''

चरों के प्रकार :–

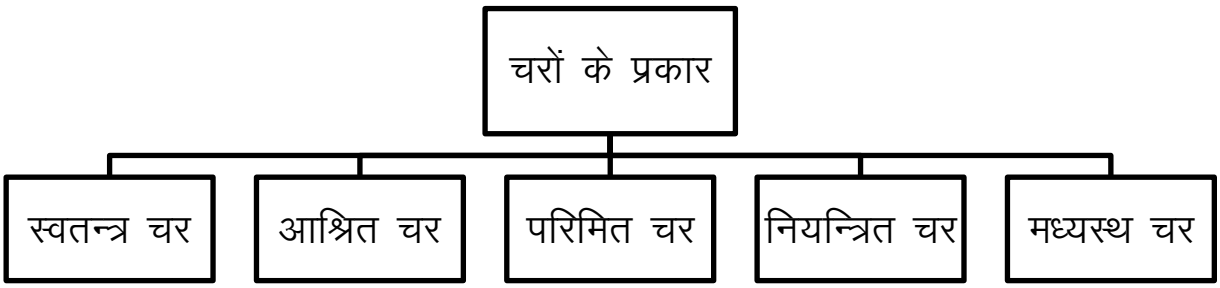

चरों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1. स्वतंत्र चर :– स्वतंत्र चर किसी वातावरण में क्रियाशील होता है तथा व्यवहार को प्रभावित करता हैं।

2. आश्रित चर :– किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव जिस चर के आधार पर किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं।

3. परिमित चर :– परिमित चर में शोध का परिसीमन हो जाता हैं। सामान्यकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता हैं।

4. नियंत्रित चर :– प्रयोगात्मक शोधकार्यो में प्रयोगात्मक चर का नियंत्रित चर के रूप में अध्ययन किया जाता हैं।

5. मध्यस्थ चर :– मध्यस्थ चर का स्वरूप अमूर्त होता है। इसलिए इसे सुझ से ही पहचाना जा सकता है। शैक्षिक शोध मे मध्यस्थ चर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि न्यादर्श की इकाई मानव होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त चर :–

प्रस्तुत शोध में आश्रित एंव स्वतंत्र चरों का प्रयोग हुआ है

1. स्वतंत्र चर –शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियाँ
2. आश्रित चर –शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियाँ के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत

3.8 अनुसंधान की विधियां :–

शोध विधि एक निश्चित अवस्था के आधार पर अध्ययन करने की प्रणाली हैं। यदि अनुसंधानकर्ता अपनी विधि की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता है तो परिणामों के अत्यधिक अनिश्चित एवं असामान्य होने की संभावना अधिक रहती है। अनुसंधानात्मक दत्तों को एकत्रित करने व प्रतिवेदन करने की कई विधियां हैः–

अनुसंधान विधियां

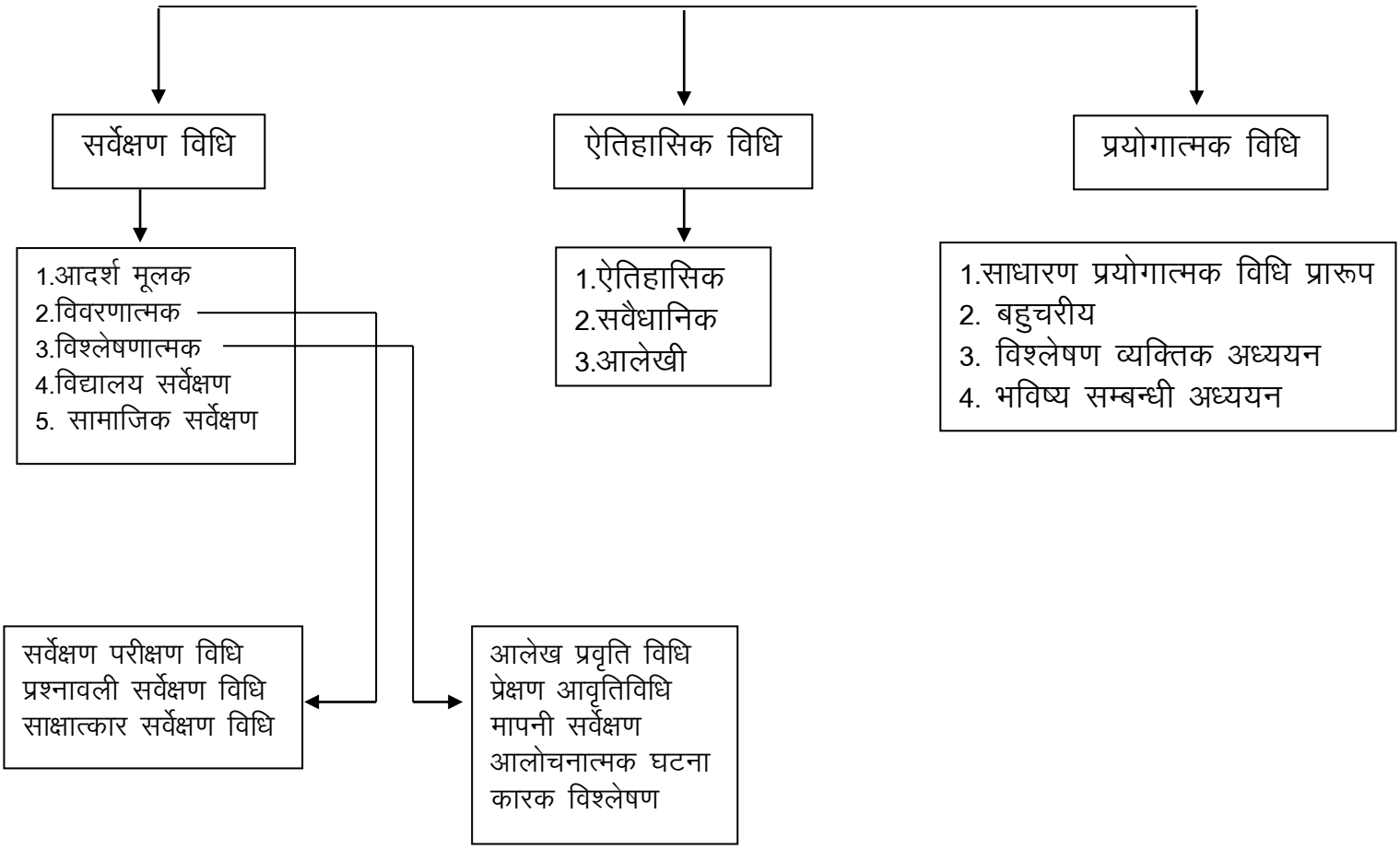
सर्वेक्षण विधि
ऐतिहासिक विधि
प्रयोगात्मक विधि
1.आदर्श मूलक
2.विवरणात्मक
3.विश्लेषणात्मक
4.विद्यालय सर्वेक्षण
5. सामाजिक सर्वेक्षण
1.ऐतिहासिक
2.सवैधानिक
3.आलेखी
1.साधारण प्रयोगात्मक विधि प्रारूप
2. बहुचरीय
3. विश्लेषण व्यक्तिक अध्ययन
4. भविष्य सम्बन्धी अध्ययन
सर्वेक्षण परीक्षण विधि
प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि
साक्षात्कार सर्वेक्षण विधि
आलेख प्रवृति विधि
प्रेक्षण आवृतिविधि
मापनी सर्वेक्षण
आलोचनात्मक घटना
कारक विश्लेषण

किसी भी विधि को हम अन्य विधियों से श्रेष्ठ नहीं कह सकते है कि अनुसधांन कार्य यही आकर रूक जाता है आगे गति नही हो पाती।

3.9 अध्ययन में प्रयुक्त विधि :–

समस्या सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् तथा सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन व अध्ययन के उद्देश्यों से प्रेरित होकर शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि को प्रयोग में लिया गया है क्योंकि इस शोध समस्या के मुख्य उद्देश्य शोध की सर्वेक्षण विधि से सम्बन्धित हैं।

सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं :–

सर्वेक्षण शब्द अग्रेंजी भाषा के शब्द Survey का हिन्दी रूपान्तरण है Survey शब्द दो शब्दों (Sur+vey) से मिलकर बना है। Sur का अर्थ है–ऊपर तथा vey का अर्थ देखना। अर्थात् सर्वेक्षण का अर्थ ऊपर से देखना अथवा निरीक्षण करना है। शब्दकोष के अनुसार भी सर्वेक्षण का अर्थ प्रायः सरकारी आलोचना निरीक्षण होता हैं।

रीसन के अनुसार :–''सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसा सहकारी उपक्रम है, जो कि एक विशेष भौगोलिक अभिसीमाओं व दशाओं के अन्तर्गत प्रचलित तथा सम्बन्धित सामाजिक समस्याओं व स्थितियों के अध्ययन तथा विश्लेषण मे वैज्ञानिक पद्धति को प्रयुक्त करता हैं।

सर्वेक्षण विधि की विशेषतायें :–

सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न है–

1. सर्वेक्षण अनुसंधान की पद्धति परिमाणात्मक होती है यद्यपि सर्वेक्षण अनुसंधान में विभिन्न प्रकृति के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अथवा संस्थाओं से सम्बन्धित तथ्य या आंकड़ें ही बड़ी मात्रा मे एकत्रित किये जाते हैं।
2. सर्वेक्षण अनुसंधान मे एकत्रित किए गए तथ्यों को सांख्यिकीय विश्लेषण एवं निर्वाचन किया जाता हैं।
3. इस विधि द्वारा भिन्न–भिन्न विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों की राय जानी जाती हैं।
4. यह विधि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करती हैं।
5. यह विधि अनुसंधानकर्ता को स्वछंद एवं स्वतंत्र वातावरण मे कार्य करने के प्रोत्साहित करती हैं।

सर्वेक्षण विधि के लाभ :–

1. सर्वेक्षण विधि मे किसी विषय या घटना की वर्तमान स्थिति का वर्णन होता है। इसमें अच्छाई व बुराई का भी वर्णन होता व सुझाव भी दिए जाते हैं।

2. सर्वेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्ष अधिक मान्य व विश्वसनीय माने जाते है क्योंकि इनमें बहुत से लोगों की राय जानी जाती है। यह विधि वैज्ञानिक विधि के निकट है।

3. सर्वेक्षण अनुसंधान के निष्कर्ष अनेक बार उपकल्पना निर्माण में भी सहायक प्रायः सफल सर्वेक्षण अनुसंधान ही होते हैं।

सर्वेक्षण विधि की आवश्यकता एवं महत्व :–

1. यह विधि सर्वेक्षण की प्रकृति को निर्धारित करती हैं।

2. यह विधि शोध के भावी विकास के क्रम की और संकेत करती हैं।

3. यह विधि ऐसे उपकरणों के निर्माण में सहायता करती है जिससे हम अनुसंधान कार्य करते हैं।

4. आवश्यकता की दृष्टि से ज्ञान के विकास में सहयोग करती है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के कार्य की प्रकृति के लिए तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करती हैं।

सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य :–

सर्वेक्षण विधि के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते है–

1. सूचनाओं का संकलन करना।

2. किसी व्यवहार या घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना।

3. किसी विशिष्ट कारक के अस्तित्व का पता लगाना।

4. दो चरों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों का पता लगाना।

सर्वेक्षण विधि की सीमाएँ :–

1. यह विधि पूर्ण तथा विश्वसनीय नहीं हैं।

2. पक्षपात की सम्भावना रहती हैं।

3. इसमें किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं किया जा सकता।

3.10 उपकरण :–

शोधकार्य की पूर्णता के लिए दत्त संकलन अति आवश्यक है दत्त संकलन के लिए शोधकर्ता को ऐसी प्रविधियों का सहारा लेना होता है। जो परिणाम एवं गुणों की दृष्टि से उपयुक्त तथा यथोचित दत्त संकलन में शोधकार्य के लिए आवश्यक है। अतः अध्ययनकर्ता के लिए उपकरणों के चयन का अत्यन्त महत्व हैं। अनुसंधान समस्या से प्रारम्भ होता है। तथा परिकल्पना की प्रकृति के अनुरूप उपकरणों का निश्चय होता है। अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे उपकरणों, विधियों व यंत्रों का व्यापक ज्ञान हो।

परिभाषा :–

1.एस.पी. सुखिया के अनुसार :–''एक विशिष्ट अध्ययन के लिए उपकरणों का चुनाव अध्ययन के उद्देश्य, समय की सीमा उपयुक्त परीक्षणों की उपलब्धि, परिणामों का फलांकन, विश्लेषण व व्याख्या आदि पर निर्भर करता है।''

2. जॉन डब्ल्यू के अनुसार :– ''एक बढई के संदूक में औजारों की भांति प्रत्येक अनुसंधान उपकरण, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रयुक्त होता हैं।''

उपकरणों का महत्व :–

तथ्यपूर्ण सामग्री का दत्त जो अब तक अज्ञात व अछुत है प्रत्येक अध्ययन मे नितान्त आवश्यक है। वे प्रत्यक्ष अथवा अनेक स्त्रोतों से उपलब्ध हो सकते हैं। आवश्यक दत्तों के संकलन सुव्यवस्थित कार्य स्थिति को अपनाना व खोज निकालना आवश्यक होता है। अतः परिणामों व गुणों की दृष्टि से पर्याप्त अथवा उचित दत्तों का संकलन किया जाना चाहिए।

उपकरणों के प्रकार :–

1. मानवीकृत उपकरण :– वे उपकरण जिन्हें किसी अनुसंधानकर्ता ने पूर्व में ही बड़े न्यादर्श पर मानक ज्ञात करके निर्मित कर लिया। तथा जिनकी वैद्यता व विश्वसनीयता निश्चित होती है।

2. स्वनिर्मित उपकरण :– वे उपकरण जिन्हें किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के अनुसार विधिवत् रूप से उसका निर्माण करता है।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

स्वनिर्मित उपकरण – प्रश्नावली

प्रश्नावली प्रणाली –

प्रश्नावली साक्षात्कार प्रविधि का लिखित रूप होता है इस प्रविधि को लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती हैं प्रश्नावली की निर्माण विधि अनुसूची पत्र तथा साक्षात्कार के समान ही होता है। प्रश्नावली को व्यक्तिगत रूप में दिया जाता हैं। इसलिये उसके निर्माण मे सभी प्रकार की सावधानी रखी जाती है। प्रश्नावली को स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। जिससे उत्तर देने में कोई कठिनाई या भ्रम न हो। साक्षात्कार की अपेक्षा प्रश्नवाली के उत्तरों की संभावनाओं का अनुमान पहले ही किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान प्रश्नावली मापनी का प्रयोग प्रदत्तों के संकलन के लिए सबसे अधिक होता हैं।

1. गुड तथा हैट के अनुसार :– ''साधारण शब्दों में प्रश्नावली मापनी की वह प्रविधिा है जिनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जाते है। इसके प्रयोग से न्यादर्श का सदस्य प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखता है।''

2. पी.वी. यंग के अनुसार :– ''समाज वैज्ञानिक प्रधानतया प्रश्नावली का उपयोग माप योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में करते है।''

3. लुण्डवर्ग 1957 के अनुसार :–''मौलिक रूप से प्रश्नावली उद्दीपकों का समूह होता है जिसे शिक्षित लोगों के सामने इन उद्दीपकों के अन्तर्गत जो मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हैं।''

प्रश्नावली के उद्देश्य :–

1. अध्ययन की सुविधा एवं सरलता
2. दूरस्थ क्षेत्रों का अध्ययन संभव
3. विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सम्भव
4. व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन
5. समय व धन की बचत
6. द्रुतगामी अध्ययन

उत्तम प्रश्नावली की विशेषताएँ

परिभाषा के आधार पर

1. प्रश्नों का प्रपत्र।
2. उद्दीपक के रूप में प्रश्न।
3. उत्तरदाता प्रश्नावली स्वयं भरता हैं।
4. विस्तृत अध्ययन।
5. तथ्यों और मतों का अध्ययन।
6. स्व–प्रशासित यंत्र
7. डाक द्वारा भेजनें की सुविधा।
8. दो प्रकार के प्रश्न।

उपयोगिता के आधार पर

1. प्रश्नों की उपयुक्त संख्या।
2. प्रश्नों की सरल भाषा।
3. पक्षपात रहित प्रश्न।
4. संदेहपूर्ण प्रश्न नहीं।
5. आकर्षक प्रश्नावली।
6. मितव्ययता।

प्रश्नावली का महत्व :–

1. अध्ययन की निष्पक्षता का होना।
2. वस्तुपरक अध्ययन का होना।
3. बड़ी जनसंख्या के अध्ययन में उपयोगी।
4. शीघ्र अध्ययन।
5. विश्वसनीयता की जांच सम्भव।
6. न्यूनतम व्यय तथा श्रम।
7. सरल और सुविधाजनक विधि।
8. स्व–प्रशासन की सुविधा।
9. आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण की सम्भावना।
10. प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होना।

प्रश्नावली के अनुसार :–

1. संरचित प्रश्नावली :– इन प्रश्नों के क्रम पूर्व निर्धारित होता है और समस्या के अध्ययन से पूर्व ही इसका निर्माण कर लिया जाता है। इन प्रश्नावली के प्रश्न खुले एवं बंद दोनों प्रकार हो सकते हैं।

2. असंरचित प्रश्नावली :– इस प्रकार की प्रश्नवालियों का प्रयोग साक्षात्कार विधि में होता है। इसके अलावा भी अनुसंधानकर्ता इन प्रश्नावलियों का उपयोग करता है। इन प्रश्नवाली की संरचना निश्चित नहीं होती है। क्योंकि अध्ययनकर्ता को अध्ययन करते समय इन प्रश्नावलियों में प्रश्न बनाने और बढाने की पूरी छूट होती है।

3. प्रतिबन्धित या बन्द प्रश्नावली :–इसमें प्रश्नों के उतर पहले से विकल्प उत्तरों के रूप में दिये होते है। इन विकल्प उत्तरों में से उत्तरदाता कोई एक उत्तर चुन कर देता हैं।

4. अप्रतिबन्धित या खुली प्रश्नावली :– इन प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न होते हैं। जिनका उत्तर देने में उत्तरदाता पर कोई नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होता है। उत्तरदाता उत्तर देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता हैं।

5. तथ्य सम्बन्धी प्रश्नावली :– यह प्रश्नावली वह प्रश्नावली हैं। जिसमे अनुसंधान समस्या से सम्बन्धित तथ्यों का संग्रह किया जाता हैं।

6. मत या अभिवृति प्रश्नावली :– यह वह प्रश्नावली है जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता उत्तरादाताओं के मत य अभिवृतियों का अध्ययन करता हैं।

7. चित्र प्रश्नावली :– यह वह प्रश्नावली है जिसमें समस्या से सम्बन्धित प्रश्न शब्दों में न होकर चित्रों में होते हैं।

8. मिश्रित प्रश्नावली :– यह वह प्रश्नावली है जिसमें एक विशेष प्रकार के प्रश्न न होकर अनेक प्रकार के प्रश्न होते है। कुछ प्रश्न संरचित और कुछ असंरचित होते हैं। इन प्रश्नवाली में आवश्यकतानुसार चित्रमय प्रश्न भी हो सकते हैं।

प्रश्नावली विधि की सीमाएँ :–

1. शिक्षित अध्ययन इकाइयों तक सीमित हैं।
2. अपूर्ण सूचनाएं होती हैं।
3. प्रति उत्तर की समस्या रहती हैं।
4. अस्पष्ट लिखाइ होना।
5. गहन अध्ययन में कठिनाई होना।
6. भावात्मक उद्दीपन का अभाव होना।
7. प्रश्नों की रचना में कठिनाई।
8. प्रतिनिधि पूर्ण प्रतिदर्श की कठिनाई होना।

उपकरण का स्वरूप :–

शोधकर्त्री द्वारा शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिये 50 प्रश्नों की प्रश्नावली शोधकर्त्री ने स्वयं अपने द्वारा निर्देशिका के निर्देशक में तैयार की गई हैं।
शोधकर्त्री ने प्रश्नावली निर्माण में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन किया हैं। जिसमें शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशासनिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रश्नों को प्रश्नावली में उचित स्थान दिया गया हैं।

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने तीन उत्तर दिये गये है। सहमत, अनिश्चित एवं असहमत। आपको किसी एक उत्तर में दिये गये हुए प्रश्न के सम्मुख सही का निशान लगाना है। अर्थात तीन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना है। जो आप सही समझे इसमें सही का निशान लगाये। इन प्रश्नावली के प्रारम्भ मे आवश्यक निर्देश दिये गये है। प्रश्नावली की जांच के उपरान्त प्रश्नों को प्रश्नावली में स्थान दिया गया है। तथा अच्छे कागज पर समुचित रूप से प्रश्नावली को छपवाया गया हैं।

3.11 अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

शोध में दतों का विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनो ही विषयों के छात्रों के लिए सांख्यिकी के ज्ञान के अभाव में न तो मनोविज्ञान व्यक्ति का सही अध्ययन कर सकता है और नहीं विभिन्न तथ्यों तथा आंकड़ो का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा :–

सांख्यिकी शब्द संख्या से बना है जिसका अर्थ है संख्याओं का अर्थ एवं विज्ञान। सांख्यिकी के लिए अंग्रेजी में Statstis का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी को इस शब्दों की व्युत्पति लैटिन भाषा से हुई बताई जाती है जबकि कुछ विद्धानों का मत है कि यह शब्द इतालवी भाषा के शब्द से बना है।

प्राचीन काल में शासक समय–समय पर जन्म तथा जनसंख्या का हिसाब करता था। इन सब कार्यो को करने वाला विज्ञान या शास्त्र ही Stattics या Stalista कहलाता था। कालान्तर में ये शब्द Stattics में परिवर्तित हो गए।

Stattics शब्द का सबसे पहले Bug में जर्मनी के गटकायड अनेकवाल ने प्रयोग किया। जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है।''

डॉ. ए.एल. बाकले :– ''सांख्यिकी गणना का विज्ञान है।''

टाटे के अनुसार :– ''सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका सम्बन्ध अंकित तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से हैं।''

कैण्डाल के अनुसार :–'' सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थो के समूह की विशेषताओं को गिनकर या गिनाकर प्राप्त की गयी सामग्री से सम्बन्धित हैं।''

सांख्यिकी की उपयोगिता :–

वर्तमान में अनुसंधान के लिए सांख्यिकी अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि –

1. सांख्यिकी द्वारा वैज्ञानिक तथा सुक्ष्म वर्णन सम्भव हैं।
2. निश्चित विधियों द्वारा प्रदत्तों को संगीतिपूर्ण व्यवस्थित करके सार्थक बनाया जा सकता हैं।

3. सांख्यिकी विधियों में वस्तुनिष्ठता, शुद्धता, संक्षिप्तता भी पायी जाती हैं।

4. सांख्यिकी से प्राप्त निष्कर्षो की भूतकालीन प्रदत्तों से तुलना करके भविष्य मे होने वाले परिवर्तनां की व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. प्रायः सामाजिक विज्ञानों में कोई भी व्यवहार मात्र एक कारण से नहीं होता है। एक व्यवहार के अनेको कारण होते है। बहुत से सामाजिक कारकों को प्रयोगात्मक विधि द्वारा भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सांख्यिकी का अनुसंधान कार्य में बहुत महत्व हैं।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियां :–

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है–

मध्यमान – जब प्रदत्तों के आकड़ों का सारणीकरण हो जाता है तब उसके उपरान्त केन्द्रीय प्रवृति से ताप्पर्य उस संख्या से है। जिसके चारो और अन्य प्रदत्त अंक हुए है। मध्यमान को प्रदत्तों के योग में समूह की संख्या से भाग देने से ज्ञात किया जाता हैं।

मध्यमान ज्ञात करने हेतु समस्त अंको को जोड़कर अकों की संख्या का भाग दिया जाता है। इस प्राप्त भागफल को मध्यमान कहते है। मध्यमान की गणना से दो या दो से अधिक समूहों में तुलनात्मक अध्ययन मानक विचलन गणना आदि में महत्वपूर्ण सहायता मिलती हैं।

मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र –

जहां $\sum$ = प्राप्ताकों का योग

N = कुल पदों की संख्या

यहां M = मध्यमान (Mean)

N = प्राप्तांको की संख्या (Sum of Soares)

$\sum x$ = प्राप्तांको का योग (Numbers of Scares)

मानक या प्रमाणित विचलन :–

केन्द्रिय प्रकृति के मापकों की सहायता से यह ज्ञात नहीं कर सकते है कि प्राप्तांको से मध्यमान कितना दूर तथा निकट है। परिणामतः प्रमाणिक विचलन प्राप्तांको का मध्यमान जो विचलन है, उसका औसत प्रकट करता है।

सम्पूर्ण अकं–वितरण की विचलन शीलता बताने वाला माप ही प्रमाणिक विचलन है। विभिन्न समूहों की पारस्परिक भिन्नता का अनुमान लगाने हेतु प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया जाता है।

सूत्र = SD $= \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$

S.D = मानक विचलन

Σd^2 = मध्यमानों से लिए गए विचलन के वर्गो का योग

N = समूहों के सदस्यो की संख्या

3. टी. मान परीक्षण (t Test) – दो समूहों की तुलना साधारणतया मध्यमानों के अन्तर से की जाती है उसके आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है निष्कर्ष निकालने के लिए मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए न्यादर्श की आधार बड़ा होना चाहिए।

t मूल्य $= \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{(\sigma_1)^2}{N_1} + \frac{(\sigma_2)^2}{N_2}}}$

T = टी मूल्य

M_1 = प्रथम समूह का मध्य

M_2 = द्वितीय समूह का मध्य

$\sigma 1^2$ = प्रथम समूह का प्रमाप विचलन का वर्ग

$\sigma 1^2$ = द्वितीय समूह का प्रमाप विचलन का वर्ग

N_1 = प्रथम समूह की इकाईयों की संख्या

N_2 = द्वितीय समूह की इकाईयों की संख्या

चतुर्थ अध्याय

तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 प्रस्तावना :–

एक अनुसंधान कार्य में तथ्यों का संकलन करने से ही लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों की समस्या के सन्दर्भ में विश्लेषण करके अर्थपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की जाये। विश्लेषण के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता हैं। इसके लिए आवश्यक है कि तथ्यों की शोध समस्या के सन्दर्भ में विश्लेषण किया जाये।

अनुसंधान में केवल तथ्यों का ढेर बना लेने से अध्ययन विषय का वास्तविक अर्थ या परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है। जबकि शोधकर्ता संकलित तथ्यों को व्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या करे। इस प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करते है कि वह उस समस्या से सम्बन्धित वांछित परिणामों को प्रस्तुत कर सके।

डब्ल्यू कुक के अनुसार :–

''वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन के तथ्यों, परिणामों तथा वैज्ञानिक ज्ञान सम्बन्धों की खोज करता हैं।''

जे.एच. पाइनर के अनुसार :–

''जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है किन्तु केवल पत्थरों का ढेर मकान नहीं हो सकता उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है किन्तु तथ्यों का संकलन विज्ञान नहीं हैं।''

4.2 तथ्यों का सारणीयन व वर्गीकरण :–

अनुसंधान में सकंलित तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से एक सारणी के अन्तर्गत प्रदर्शित करना ही सारणीयन के द्वारा प्राप्त अंकों से प्राप्त होने वाली सूचना स्पष्ट होती है। समस्या की

व्याख्या स्पष्ट रूप से होती हैं। तथा आंकड़ों से यथोचित निष्कर्ष निकाले जा सकते है। यहां तक कि इसके द्वारा गुणात्मक रूप में प्रस्तुत करने की एक प्रणाली है, यह संकलित तथ्यों को बोधगम्य व व्यवस्थित बनाती हैं।

सारणीयन की परिभाषा :–

एल्हंस के अनुसार :–''विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों की स्तम्भों तथा पक्तियों में क्रमबद्व रूप में व्यवस्थित करता हैं।''

कौनर के अनुसार :–''सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण है।''

नीस्वेंगर के अनुसार :–''सांख्यिकीय सारणी स्तम्भों तथा कतारों में आंकड़ों का सग्रंह क्रमबद्ध संगठन है।''

सारणीयन के उद्देश्य :–

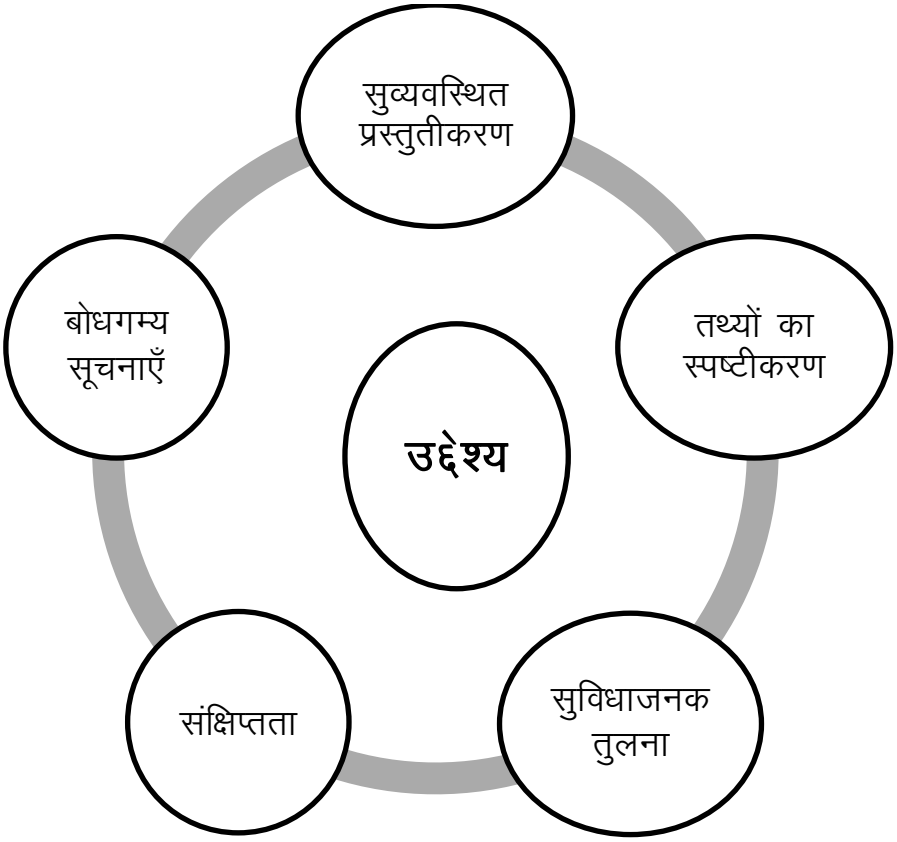

उत्तम सारणीयन के लक्षण :–

1. आकर्षकता :– एक उत्तम सारणी बनाने के लिए उसकी बनावट, विभिन्न खानो का अनुपात, संख्याओं को लिखने का तरीका, स्वच्छता, स्पष्टता व सुन्दरता आदि का ध्यान रखना चाहिए।

2. समुचित आकार :– सारणी, समुचित आकार की होनी चाहिए अर्थात् आकार न बहुत बड़ा हो, न बहुत छोटा।

3. तुलना की सुविधा :– सारणी की एक प्रमुख गुण आंकड़ों की तुलना करना होता है इस गुण को ध्यान में रखते हुए सारणी को क्रमबद्ध रूप मे बनाना चाहिए।

4. स्पष्टता एवं सरलता :– एक श्रेष्ठ सारणी स्पष्ट व सरल होनी चाहिए जिससे साधारण व्यक्ति को भी तथ्यों की विशेषताएँ ज्ञात हो सके।

5. उद्देश्यनुकूल :– अपने उद्देश्य की पूर्ति हो, इस प्रकार सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए इसमें अनावश्यक तथ्यों का प्रवेश न हो और अनावश्यक तथ्य छुटने नहीं चाहिए।

6. वैज्ञानिकता :– आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण सम्बद्ध और क्रम से किया जाना चाहिए जिससे तथ्यों की विशेषताएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होती रहे। अतः सारणी का निर्माण वैज्ञानिकता ढंग से किया जाना चाहिए।

सारणीयन की सीमाएँ :–

केवल संख्यात्मक सूचनाएँ	विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता
नीरस एवं रूचिहीन	पूर्व परिशुद्धता का अभाव

सारणीयन के लाभ :–

सारणीयन के लाभ निम्नलिखित है –

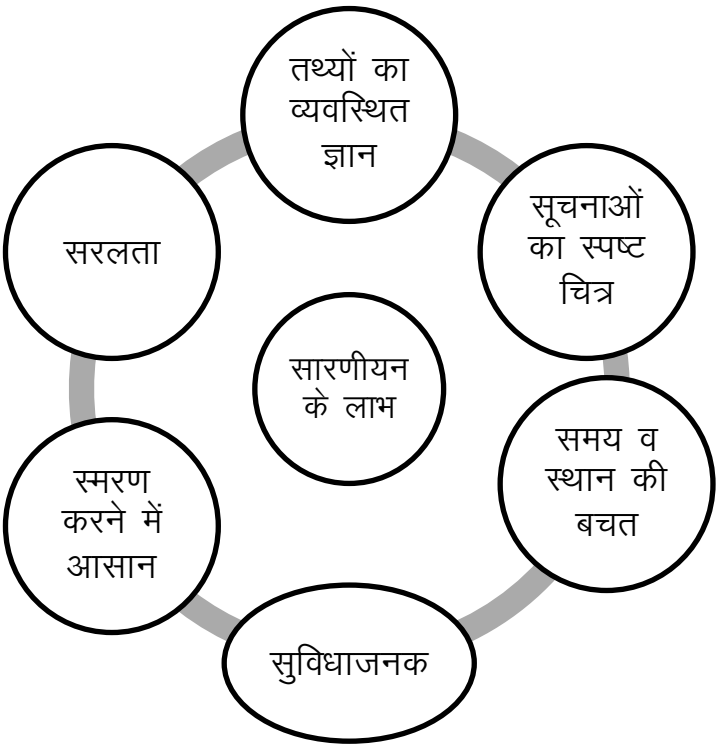

सारणीयन के प्रकार :–

सारणी का दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया हैं–

1. उद्देश्य के आधार पर

अ. सामान्य उद्देश्यीकरण सारणी

ब. संक्षिप्त सारणी

2. रचना के आधार पर

अ. सरल सारणी।

ब. जटिल सारणी।

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने अपने शोध के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए अध्ययन करने का प्रयास किया है इसके लिए नागौर जिले की डीडवाना तहसील एवं कुछ गांवों के 60 छात्र एवं छात्राओं जिसमे 30 छात्र–छात्राएं राजकीय तथा 30 छात्र–छात्राएं निजी माध्यमिक विद्यालय से न्यादर्श पर स्वनिर्मित प्रश्नावली से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किए हैं।

4.3 तथ्यों का सारणीयन एव विश्लेषण :–

परिकल्पना –1

शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

सारणी संख्या–1

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	12.7	3.12	0.8		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	13.4	3.11		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) = (30+30 – 2 =58) 0.05=2.00 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 1

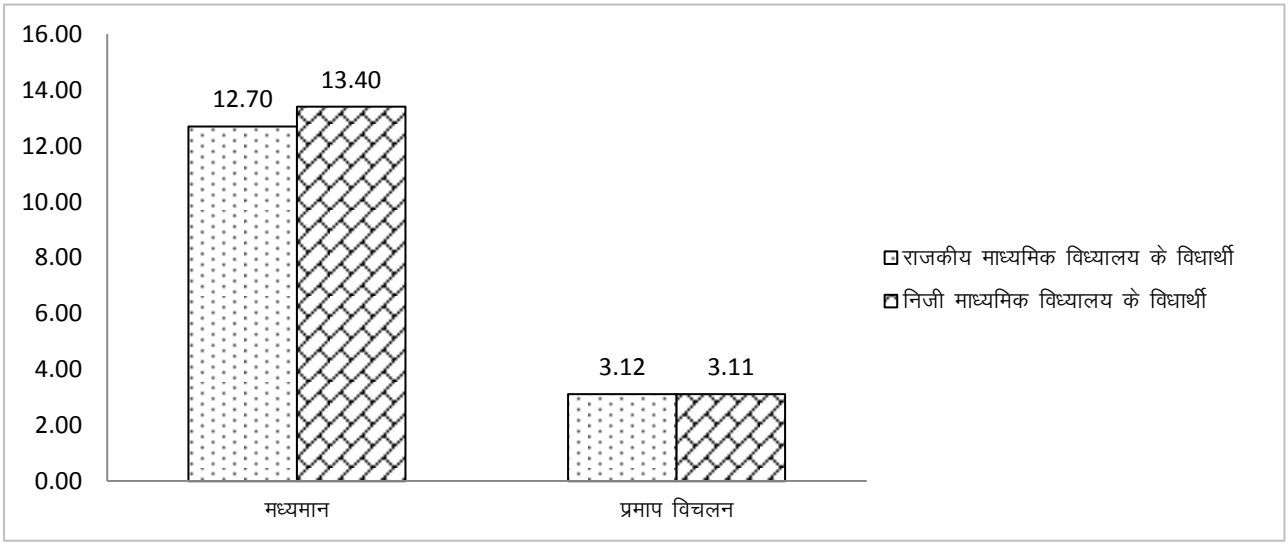

1 शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 1– सारणी संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 12.7 व प्रमाप विचलन 3.12 है तथा समूह 2 का मध्यमान 13.4 व प्रमाप विचलन 3.11 है दोनों समूहों का 'T' का मान 0.8 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.00 तथा 0.01 स्तर पर 2.66 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –2

सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या– 2

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	54.8	8.85	1.12		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	57.5	9.84		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (30+30 – 2 =58) 0.05=2.00 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 2

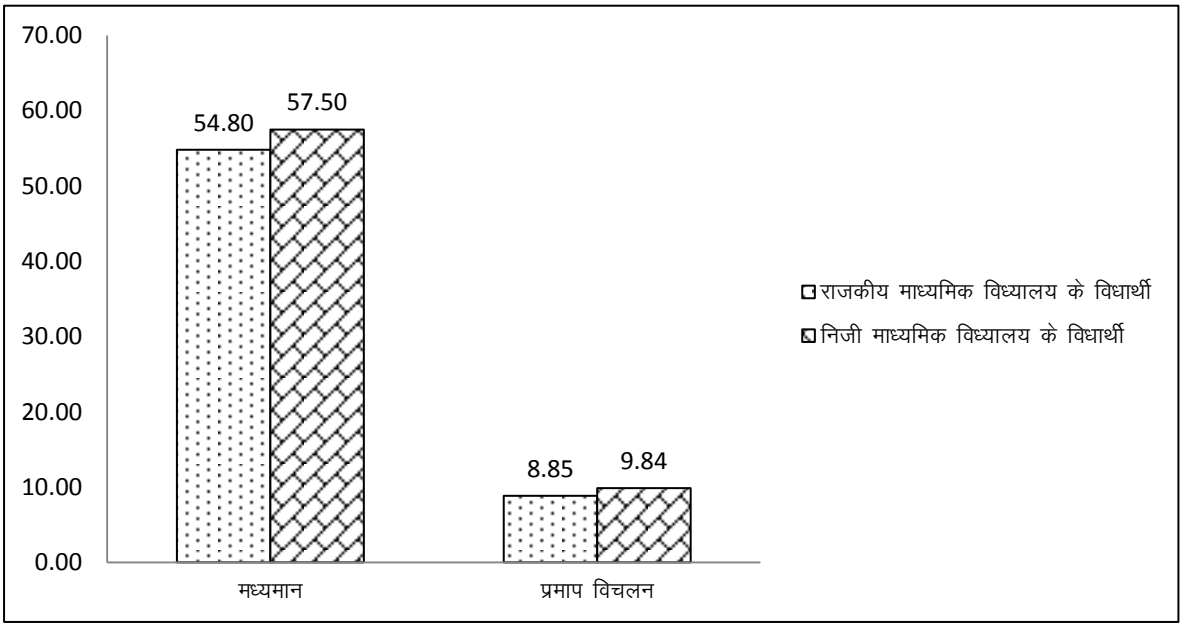

2 सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 2– सारणी संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 54.8 व प्रमाप विचलन 8.85 है तथा समूह 2 का मध्यमान 57.5 व प्रमाप विचलन 9.84 है दोनों समूहों का 'T' का मान 1.12 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.00 तथा 0.01 स्तर पर 2.66 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –3

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती हैं।

सारणी संख्या– 3

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	65.2	10.57	1.92		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	70.7	11.32		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (30+30 – 2 =58) 0.05=2.00 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 3

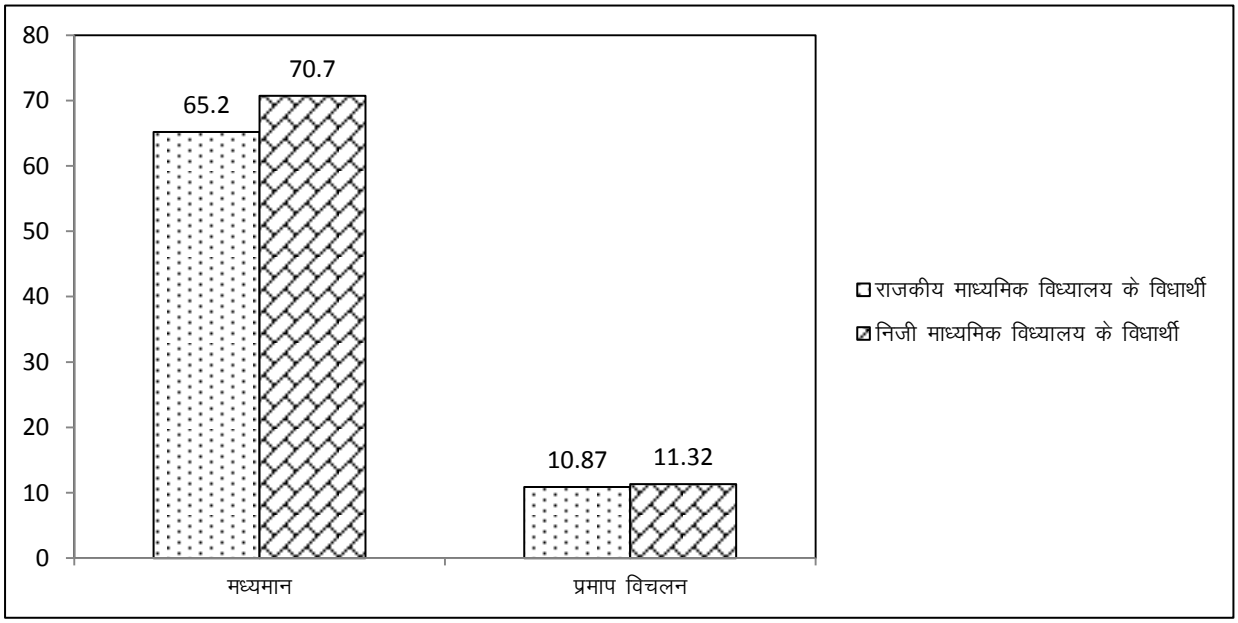

3 शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण।

सारणी संख्या 3– सारणी संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 65.2 व प्रमाप विचलन 10.87 है तथा समूह 2 का मध्यमान 70.7 व प्रमाप विचलन 11.32 है दोनों समूहों का 'T' का मान 1.92 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.00 तथा 0.01 स्तर पर 2.66 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –4

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती हैं।

सारणी संख्या– 4

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	15	64	12.36	0.64		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	15	67	13.35		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (15+15 – 2 =28) 0.05=2.05 एवं 0.01=2.76

आरेख संख्या 4

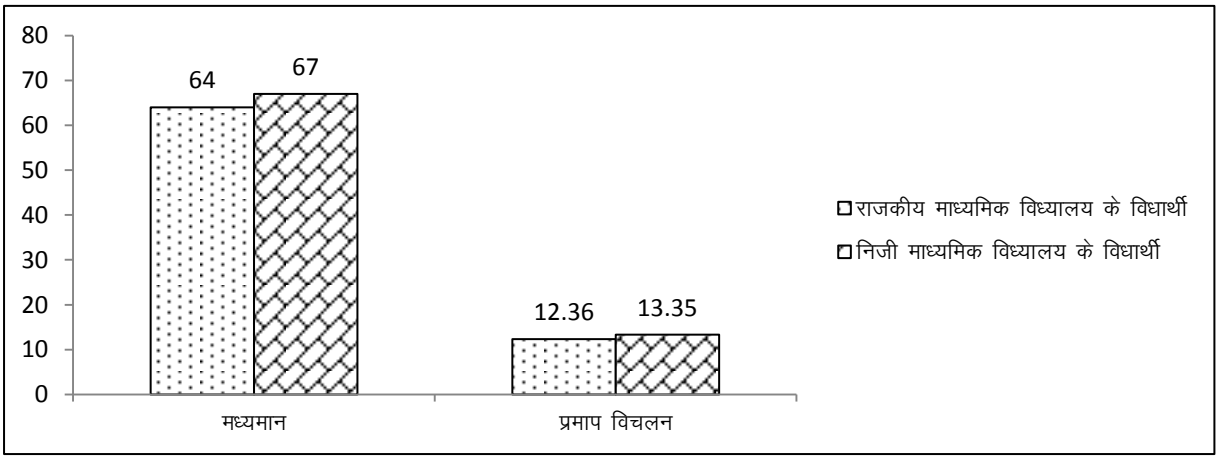

4 शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 4– सारणी संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 64 व प्रमाप विचलन 12.36 है तथा समूह 2 का मध्यमान 67 व प्रमाप विचलन 13.25 है दोनों समूहों का 'T' का मान 0.64 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 28 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.05 तथा 0.01 स्तर पर 2.76है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –5

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती हैं।

सारणी संख्या– 5

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.01	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	15	71	7.47	1.25		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	15	74	5.57		0.05	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (15+15 – 2=28) 0.05=2.05 एवं 0.01=2.76

आरेख संख्या 5

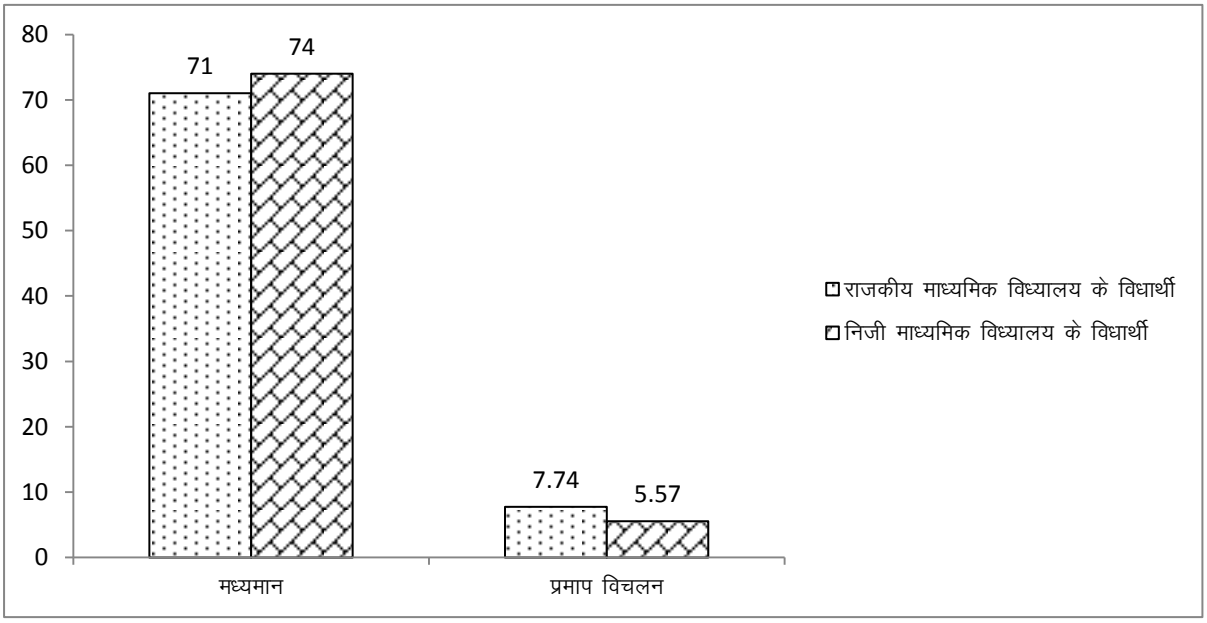

5 शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 5– सारणी संख्या 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 70 व प्रमाप विचलन 7.47 है तथा समूह 2 का मध्यमान 74 व प्रमाप विचलन 5.57 है दोनों समूहों का 'T' का मान 1.25 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 28 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.05 तथा 0.01 स्तर पर 2.76 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –6

सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनीय व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या– 6

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	15.4	2.91	1.68		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	16.8	3.53		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (30+30 – 2 =58) 0.05=2.05 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 6

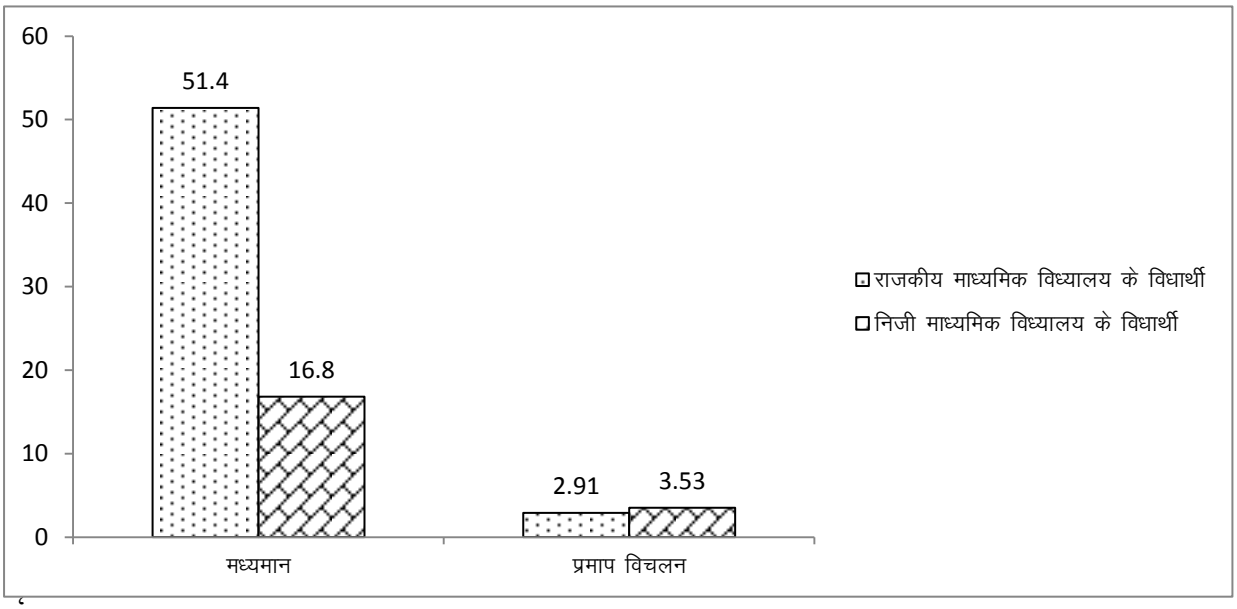

6 सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनीय व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 6 – सारणी संख्या 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनीय व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 15.4 व प्रमाप विचलन 2.91 है तथा समूह 2 का मध्यमान 16.8 व प्रमाप विचलन 3.53 है दोनों समूहों का 'T' का मान 1.68 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.05 तथा 0.01 स्तर पर 2.76 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनीय व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –7

सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या– 7

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	13.2	2.98	0.25		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	13.4	3.05		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (30+30 – 2 =58) 0.05=2.05 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 7

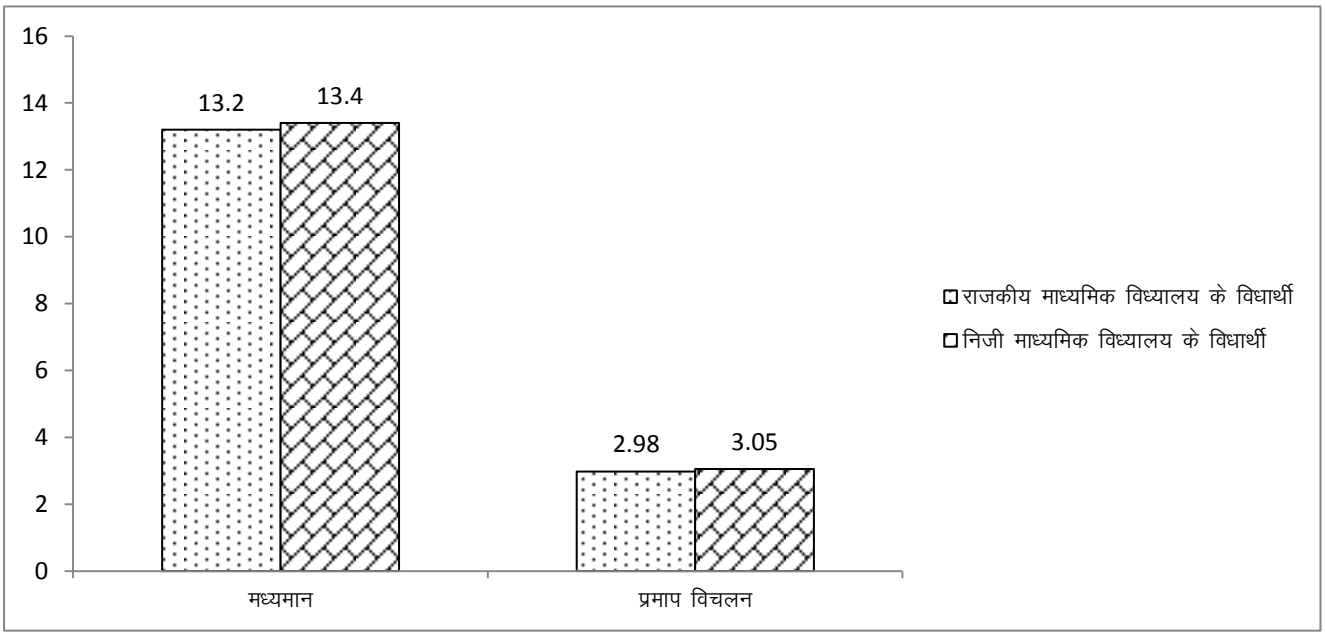

7 सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 7 – सारणी संख्या 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 13.2 व प्रमाप विचलन 2.98 है तथा समूह 2 का मध्यमान 13.4 व प्रमाप विचलन 3.05 है दोनों समूहों का 'T' का मान 0.25 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.05 तथा 0.01 स्तर पर 2.76 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –8

सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या– 8

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	12.3	2.79	0.51		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	12.7	3.26		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (30+30 – 2 =58) 0.05=2.05 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 8

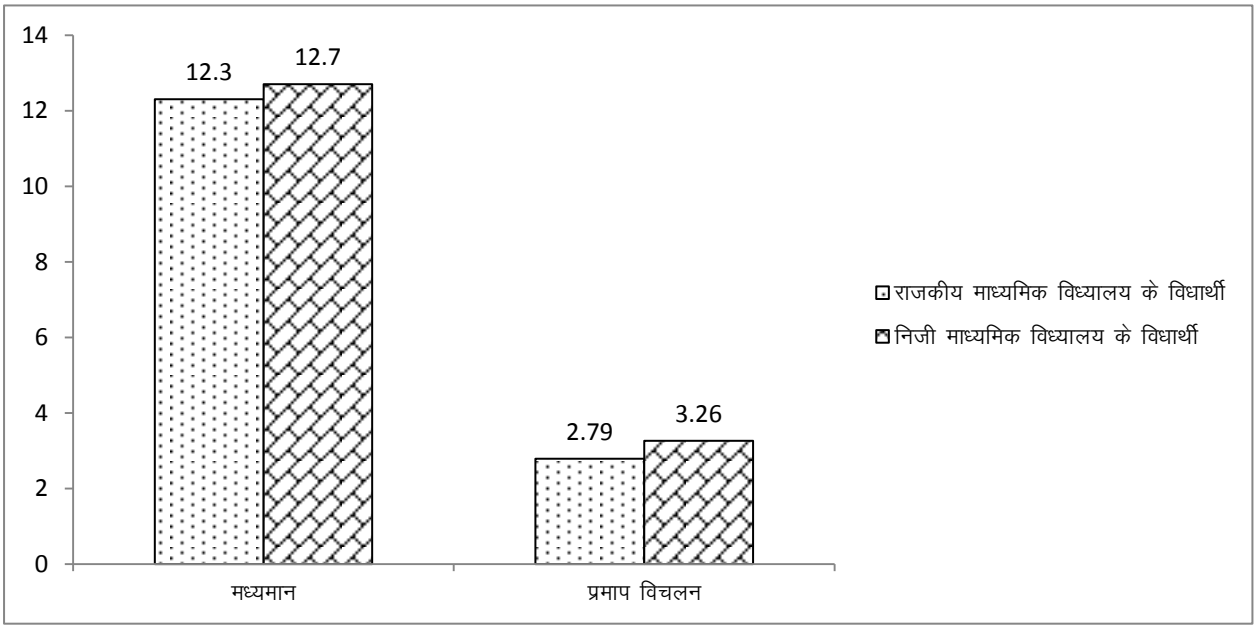

8 सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 8 – सारणी संख्या 8 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 12.3 व प्रमाप विचलन 2.79 है तथा समूह 2 का मध्यमान 12.7 व प्रमाप विचलन 3.26 है दोनों समूहों का 'T' का मान 0.51 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.00 तथा 0.01 स्तर पर 2.66 है जो 'T' के मान 0.01 स्तर पर 0.05 स्तर अर्थात् दोनों सार्थकता स्तर से कम हैं। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

परिकल्पना –9

सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या– 9

समुह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी मान (t)	स्तर 0.05	सार्थकता का स्तर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	12.4	2.74	2.57		परिकल्पना स्वीकृत है।
निजी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी	30	14.2	2.69		0.01	परिकल्पना स्वीकृत है।

df = (N_1+N_2 – 2) (30+30 – 2 =58) 0.05=2.05 एवं 0.01=2.66

आरेख संख्या 9

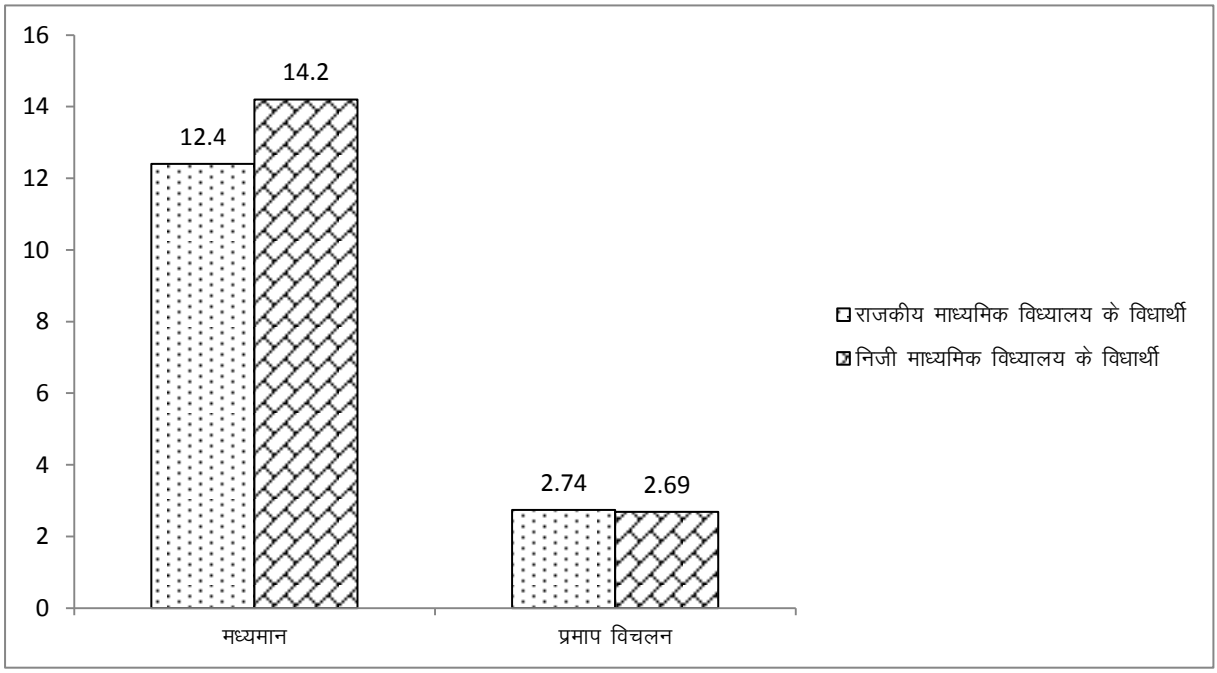

9 सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की तुलना।

सारणी संख्या 9 – सारणी संख्या 9 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में समूह 1 का मध्यमान 12.4 व प्रमाप विचलन 2.74 है तथा समूह 2 का मध्यमान 14.2 व प्रमाप विचलन 2.69 है दोनों समूहों का 'T' का मान 2.57 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 60 पर क्रमशः 0.05 स्तर पर 2.00 तथा 0.01 स्तर पर 2.66 है सांख्यिकी आधार पर गणना करने 'टी' का मान 2.57 प्राप्त हुआ है जो 'T' के मान 0.05 स्तर के 2.57 प्राप्त हुआ है जो जो 'T' के मान 0.05 स्तर के सारणीमान से ज्यादा है अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती हैं। लेकिन 0.01 स्तर के सारणीगत मान से कम है तो परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

निष्कर्ष :–

अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण श्रेष्ठ पाया गया है तथा ये शारीरिक गतिविधियों में रूचि रखते है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियो में शारीरिक गतिविधियों के प्रति रूचि नाममात्र की पायी गयी हैं।

4.4 सांख्यिकी :–

प्रस्तुत लघुशोध में विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा हैं। सांख्यिकी एक गणितीय प्रविधि है जिसका प्रयोग अंको के संकलन वर्गीकरण सारणीयन एवं तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी प्रदत्तों का विवेचन करती है जिससे निष्कर्ष गणना मापन से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पंचम अध्याय

शोध का सांराश एवं निष्कर्ष

5.1 प्रस्तावना :–

प्रत्येक मनुष्य एक विद्यार्थी है और उसका समस्त जीवन काल एक शिक्षा काल है। शिक्षा मानवीय चेतना का वह ज्योतिर्मय सुसंस्कृत पक्ष है, जिससे उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा मानव के विकास की जन्मजात प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती है। अतः शिक्षा की आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें उपयुक्त शिक्षण अधिगम स्थितियों में बालक को प्राप्त अनुभवों के माध्यम से उसके व्यवहार में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाता है। कक्षा एक बड़ी सीमा तक मानसिक शक्ति का विकास करने में सहायक होती है, किन्तु अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है कि विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसी स्वस्थ क्रियाये आयोजित की जाये, जिनके द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो सके। उक्त उद्देश्यों के सम्पादन हेतु शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

I शैक्षिक गतिविधियाँ :–

औपचारिक शिक्षा के रूप में विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जो कार्य किए जाते है अथवा जिस प्रकार शिक्षण व्यवस्थाएं की जाती है वे सभी शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत आती है।

शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासन सभी का सहयोग होता है। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत शिक्षकों की योग्यता एवं व्यवहार, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री का प्रयोग प्रायोगिक कार्य आदि सम्मिलित होते है।

शैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन करवाया जाता है अन्य शिक्षण नहीं होता है जिसके अन्तर्गत एक कक्ष के अन्तर्गत शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षक की भूमिका जिसमें महत्वपूर्ण होती है। इससे विद्यार्थी का केवल बौद्धिक विकास होता है।

शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है ''अपेक्षित शिक्षा के पुननिर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, उसके व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षिक योग्ताए, उसका व्यावसायिकरण प्रशिक्षण और उसकी स्थिति, जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे।''

माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित शैक्षिक गतिविधियाँ :–

शैक्षिक एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। बालक परिवार, समाज कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है परन्तु औपचारिक रूप से शिक्षा विद्यालय में प्राप्त की जा सकती है। शैक्षिक गतिविधियां निन्नलिखित है।

(1) प्रयोगिक कार्य **(2) सैद्धान्तिक कार्य**

(3) अन्य कार्य –

(1) शिक्षण विधियों का प्रयोग

(2) पुस्तकालय गठन

(3) सहायक सामग्री

(4) शिक्षकों की योग्यता

(5) साहित्यिक क्रियांए – जैसे–लेखन, तर्कवितर्क, भाषण, कविता आदि।

(6) स्कूल पत्रिका।

II सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बालक में अनेक गुणों तथा अनुशासन, मर्यादा, सयंम नियमितता, स्वच्छता, शिक्षकों के प्रति आदर की भावना, विद्यालय एंव राष्ट्रीय सम्पति के प्रति सुरक्षा एवं समाज सेवा की भावना, आदि गुणों का विकास होता है। सह–शैक्षिक गतिविधियों को विद्यालयी जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विद्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान व सम्मान दिया है।

''पाठ्य सहगामी क्रिया–कलाप की योजना जिसका परम् उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं सम्पूर्ण विकास है। बड़ी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता से बनायी जानी चाहिए।'' मनोवैज्ञानिक खोजों ने यह सर्वथा सिद्ध कर दिया है कि वे विद्यार्थी जो सह–शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते है, संवेगात्मक दृष्टि से अधिक स्थिर एवं आत्मविश्वासी होते है तथा शीघ्र हतोत्साहित नहीं होते है। घर और विद्यालय के कठोर अनुशासन के कारण बालक की इच्छाओं व आंकक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। वह उनका शमन व दमन करता है, जिसके कारण उनमें मानसिक विकारों के पैदा होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

विद्यार्थियों में सामाजिक गुण जिन्हें हम सह–शैक्षिक गतिविधियों द्वारा अर्जित कर सकते है– एक–दूसरे के प्रति सहानुभूति, भाईचारा, सहनशीलता, सहयोग, सद्भाव लक्ष्य प्राप्तिकरण हेतु मिलकर बढ़ना, नियमों का पालन करना, अज्ञापालन, अन्य सभी नागरिक गुणों को ग्रहण करना आदि।

सह–शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से संस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को उभारने की क्षमता को ध्यान में रखकर प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है जिनका लक्ष्य भी सामाजिक समरता के गुणों का विकास करना है। इन क्रियाओं द्वारा विभिन्न वातावरण से आये बालकों में सहयोग, सह–अस्तित्व भावना का विकास किया जा सकता है।

सह–शैक्षिक गतिविधियाँ छात्र की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। छात्र इनमें सहिष्णु, साहसी, सदाचारी कर्मठ व धैर्यवान बनता है क्योंकि सह–शैक्षिक क्रियाओं से छात्र के सभी व्यक्तित्व पक्षों का सम्पूर्ण विकास होता है।

विद्यालय में आयोजित सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :–

जो गतिविधियां शैक्षिक क्रियाओं से भिन्न होती है। शिक्षा के साथ संचालित की जाती है। इस तरह के कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किये जाते है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। यह ऐसी गतिविधियाँ है जो आपके विभिन्न सामाजिक विकास, नैतिक विकास शारीरिक

एवं सांस्कृतिक विकास में अहम् भूमिका निभाता है। अतः सह–शैक्षिक गतिविधियाँ निम्न लिखित है।

(1) प्रशासनिक गतिविधियाँ

(2) सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(3) सामाजिक गतिविधियाँ

(4) शारीरिक गतिविधियाँ

(5) विद्यालय सम्बन्धी गतिविधियाँ

1. प्रशासनिक गतिविधियाँ :–

विद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों के अन्तर्गत भौतिक एंव मानवीय तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध एंव सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रशासनिक गतिविधियों विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाती है। प्रशासनिक गतिविधियों के अन्तर्गत विद्यालय का प्रशासन एक विशाल भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय कक्ष, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ जल, साफ सफाई, साज सज्जा, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति एवं छात्रों का नामांकन आदि आते है।

2. सांस्कृतिक गतिविधियाँ :–

इन गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते है। साथ ही विद्यार्थी में व्यावसायिक क्षमताओं का भी विकास होता है। सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत लोकगीत, लोकनृत्य, कीर्तन, भजन, संगीत, प्रदर्शनी, फैन्सी ड्रेस,सांस्कृतिक उत्सव मनाना, विविधता पूर्व कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।

3. सामाजिक गतिविधियाँ :–

विद्यालय बालकों में सामाजिक भावनाओं का विकास करता है तथा विद्यार्थियों को समाज के आदर्शों, विचारधाराओं एवं परम्पराओं आदि से अवगत कराते है।

सामाजिक गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, शिविरों का आयोजन, जागरूकता रैली निकालना, मैलों का आयोजन, एन.एस.एस. रैड–क्रॉस, ग्राम सर्वेक्षण समाज सेवा, समूह प्रार्थना, स्कांउटिंग आदि सम्मिलित है।

4. शारीरिक विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ :–

विद्यार्थी के मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ–साथ शारीरिक विकास भी आवश्यक है। और यह विकास शारीरिक गतिविधियों से सम्भव है। शारीरिक विकास सम्बन्धी गतिविधियों के अन्तर्गत खेल अन्दर व बाहर, खेले जाने वाले, दौड़, सामूहिक व्यायाम, कुश्तियां, तैराकी, योग, नौका चलाना आदि सम्मिलित है।

5. विद्यालय वातावरण सम्बन्धी गतिविधियाँ :–

विद्यालय एक औपचारिक संस्था है। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियाँ विद्यार्थी के विकास में सहायक है। विद्यालय वातावरण सम्बन्धी गतिविधियों के अन्तर्गत प्रातः कालीन सभी, उपस्थिति, अन्तरवेला, विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन आदि गतिविधियाँ सम्मिलित है।

5.2 समस्या कथन :–

''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन''

5.3 शोध के उद्देश्य :–

1. शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।
2. सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।
3. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।
4. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण को जानना।
5. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण को जानना।

6. सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

7. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

8. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

9. सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानना।

5.4 शोध परिकल्पनाएँ :–

1. शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

4. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

5. शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

6. सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

7. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता।

8. सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

9. सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

5.5 शोध विधि :–

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

सर्वेक्षण विधि समाज वैज्ञानिक अनुसंधान की वह शाखा है। जिसके अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक खोज की जाती है। यह विधि हमारे सम्मुख वर्तमान समस्या को प्रस्तुत करती है।

5.6 न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु नागौर जिले के कुछ गांवो राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

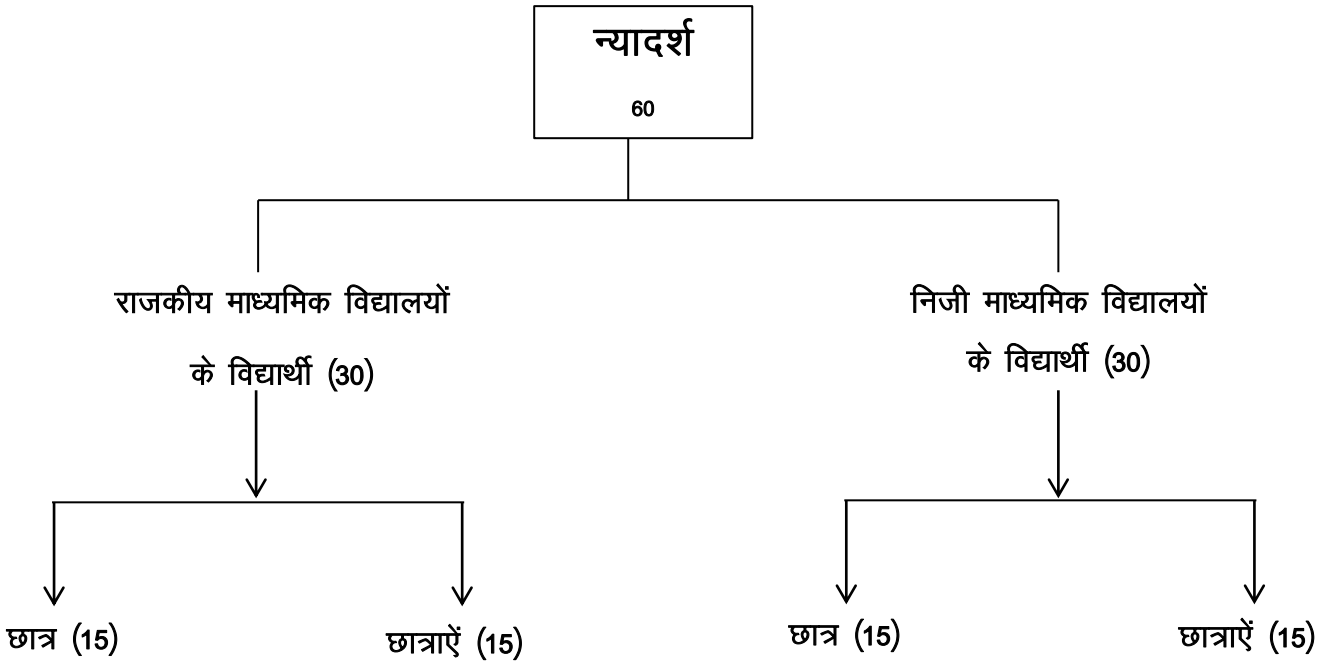

5.7 शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

प्रश्नावली का अर्थ :–

प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु उपकरण के रूप में प्रश्नावली का उपयोग ही शोध कार्य के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण माना गया है। प्रश्नावली के अन्तर्गत समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता हैं।

5.8 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

1. मध्यमानः–

मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र–

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

2. प्रमाणिक विचलन

प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने का सूत्र

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

3. 'टी'–परीक्षण

'टी' परीक्षण ज्ञात करने का सूत्र–

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_{(1)}^2}{N_1} + \frac{\sigma_{(2)}^2}{N_2}}}$$

5.9 शोध के परिणाम एवं निष्कर्ष :–

निष्कर्ष के अभाव में किसी कार्य की पूर्णता प्रदान करने का औचित्य सार्थक नही रहता। अध्ययन की सफलता उसके निष्कर्ष में निहित रहती है। अर्थात् अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष उसके केन्द्र बिन्दु होते है जिन्हें इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

शोध के मुख्य निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष अग्रलिखित है–

परिकल्पना–1

''शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नही पाया जाता है।''

निष्कर्ष :–

''शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक अन्तर नही पाया गया है। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना – 2

''सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विधालयों के विद्यार्थियों क दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।''

निष्कर्ष :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विधालयों के विद्यार्थियों क दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना – 3

''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :–

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। अर्थात् समान है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना – 4

''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

निष्कर्ष :–

शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के दृष्टिकोण है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती हैं।

परिकल्पना – 5

''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक भिन्नता नहीं पाई जाती है।

निष्कर्ष :–

''शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। अर्थात् समान दृष्टिकोण है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना – 6

सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया है। अर्थात् समान दृष्टिकोण है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना – 7

सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अर्थात् समान दृष्टिकोण है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना – 8

सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया गया है अर्थात् समान दृष्टिकोण है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना – 9

सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष :–

सह–शैक्षिक गतिविधियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण श्रेष्ठ पाया गया है तथा में शारीरिक गतिविधियों में रूचि रखते है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में शारीरिक गतिविधियों के प्रति रूचि नाममात्र पायी गयी है। इन विद्यार्थी की शारीरिक गतिविधियों के प्रति उदासीनता पाई गई है।

5.10 शैक्षिक निहितार्थ :–

प्रत्येक शोधकार्य में निष्कर्ष के आधार पर शैक्षिक निहितार्थ का विवेचान किया जाता है। ये शैक्षिक निहितार्थ शोध अध्ययन से स्पष्ट शैक्षिक विभिन्नताओं शैक्षिक–पत्रिकाओं की कमियों व आदि का दूर करने हेतु दिशा – निर्देशन प्रदान करते है।

विद्यार्थियों हेतु :–

विद्यालय की गतिविधियों का प्रभाव सर्वाधिक विद्यार्थियों पर ही पड़ता है। शोध से प्राप्त निष्कर्षो के आधार विद्यालय की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में आवश्यक सुधार किया जा सकेगा, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित होगे एवं उनका अधिकतम विकास सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही विद्यार्थी स्वयं को मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूक होंगे। प्रस्तुत शोध विद्यार्थियों हेतु अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा।

विद्यालय हेतु :–

प्रस्तुत शोध के माध्यम से विद्यालय अपनी वर्तमान स्थिति को जान पायेंगे तथा अन्य विद्यालयों एवं बोर्ड से तुलना करके अपनी कमियों को ढुंढकर उनका परिमार्जन कर विद्यालय की वर्तमान स्थिति में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। विद्यालय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनओं की जानकारी प्राप्त कर उनसे लाभ प्राप्त कर विद्यालय का विकास सुनिश्चित कर सकेंगे।

शिक्षकों हेतु :–

शिक्षक विद्यालय के कर्णधार होते है विद्यालय की समस्त शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान होती है। अतः यह शोध शिक्षकों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यालय के शिक्षकगण शोध से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का इस प्रकार से क्रियान्वयन कर सकेगें। जिससे विद्यार्थियों का सर्वाधिक विकास सुनिश्चित हो।

प्रशासन हेतु :–

प्रत्येक विद्यालय को चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। प्रशासन ही विद्यालय की नीतियों का निर्धारण करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्रशासन को विद्यालय हेतु लाभप्रद गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होगी जिनके आधार पर प्रशासन अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन कर इन्हें विद्यालयों के लिए अधिक लाभप्रद बना सकेगा। तथा प्रशासन सभी विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन नीतियों का निर्माण कर सकेगा।

5.11 भावी शोध हेतु सुझाव –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन राजस्थान के संभागों, जिलों को न्यादर्श के रूप में लेकर किया जा सकता है।

2. उक्त चरों पर ग्रामीण व शहरी जनता को न्यादर्श के रूप में चुनकर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

3. विद्यार्थियों के अतिरिक्त, अभिभावकों, महिलाओं, राजनीतिज्ञ को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

4. शोधकर्त्री द्वारा न्यादर्श 60 लिया गया है लेकिन उक्त समस्या का अध्ययन बड़े न्यादर्श को लेकर भी किया जा सकता है।

5. विभिन्न विद्यालयों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक क्रियाओं का कार्य की दशाओं का परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जा सकता है।

6. भिन्न–भिन्न बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के तुलना की जा सकती है।

7. विभिन्न राज्यों के विद्यालयों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों की तुलना की जा सकती है।

8. भावी शोध हेतु सामुदायिक विद्यालयों नवोदय विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों की तुलना की जा सकती है।

9. विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों की तुलना की जा सकती है।

10. विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के तनाव एवं नैराश्य के स्वरूप एवं कारणों का उनके बौद्धिक स्तर तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्ररिपेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

11. भावी शोध में विद्यार्थियों को सकांय के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है।

5.12 उपसंहार :–

प्रस्तुत लघु शोध कार्य का अंतिम अध्याय है। इस शोध कार्य में निष्कर्ष, आगामी शोध कार्य सुझाव दिये गए है जो किसी न किसी के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत शोध शोधार्थी का प्रथम व लघु प्रयास है शोधकर्त्री ने शोध के उपरान्त यह अनुभव किया कि वर्तमान समय में इस विषय पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि अपने अध्ययन कार्य को के कारण इसके परिणामों एवं निष्कर्षो की व्यापकता की भविष्यवाणी नही की जा सकती है परन्तु भविष्य में इस विषय पर अधिक कार्य हेतु यह शोध प्रबन्ध एक उपयुक्त भूमिका अदा कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह अरूण कुमार : (2010), ''मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विज्ञान'', मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली

2. श्री वास्तव, डी. एन. : (2012), ''अनुसंधान विधियां'', साहित्य प्रकाशन, आगरा

3. माथुर एस. एच. : (2009), ''शिक्षा मनोविज्ञान'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

4. शर्मा आर. ए. : (2009), शिक्षा अनुसंधान, आर लाल बुक डिपो, मेरठ

5. मिश्रा महेन्द्र : (2008), ''शैक्षिक प्रबन्धन एवं विद्यालय संगठन'', युनिवर्सिटी बुक हाऊस, प्रा. लि जयपुर

6. रायजादा, बी. एस. : ''शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व'', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

7. त्रिपाठी, शालिग्राम : (2008), ''शिक्षा मनोविज्ञान'', कनिष्ठ पब्लिशर्स, दिल्ली

8. अस्थाना विपिन : (2007), ''मनोविज्ञान शिक्षा में मापन एवं मूंल्याकन'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

9. शर्मा, एन. पी. : (2009), ''स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में आधुनिक प्रवृतियां'', खेल साहित्य केन्द्र, नई दिल्ली

10. सरीन एवं सरीन : (2008), ''शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

11. गैरिट, हैनरी ई. : (1999), ''शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग'', कल्याण पब्लिशर्स, लुधियाना

12. सिंह, रामपाल : (1999), ''व्यक्तिगत मनोविज्ञान'', साहित्य प्रकाशन, आगरा

13. त्रिपाठी, आर.वी : (2002), ''व्यक्ति मनोविज्ञान'', गंगाशरण एंड संस, वाराणसी

14. शर्मा, बी. एन. (2004), ''शिक्षा मनोविज्ञान'', साहित्य प्रकाशन, आगरा

15. शर्मा, रामशकल : (2003), ''शिक्षा मनोविज्ञान'', सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ

16. पाठक. पी.डी. : (2007), ''शैक्षिक प्रबन्धन एवं विद्यालय संगठन'', यूनिवर्सिटी बुका हाऊस प्रा. लि. जयपुर

17. प्रसाद, केशव : (2007), ''विद्यालय व्यवस्था'', विनाद पुस्तक मन्दिर, आगरा

18. मया, शंकर : (2007), ''शैक्षिक प्रबंधन एवं शिक्षण तकनीकी अध्ययन'', पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली

19. राय, पारसनाथ : (2007), ''अनुसंधान परिचय'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा

20. सिंह, कर्ण : (2007–08), ''शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध'', लखीमपुर, गोविन्द प्रकाशन

21. कपिल, एच. के. : (2007), ''अनुसंधान विधियाँ'', हरप्रसाद भार्गव, पुस्तक प्रकाशन, आगरा

22. भाटिया, के. के : (2006), ''शैक्षिक तकनीकी का परिचय'', कल्याणी पब्लिशर्स, राजस्थान

23. बघेला, एच. एस. : (2007), ''अधिगम एवं शिक्षण के मनोसामाजिक आधार'', राजस्थान प्रकाशन, जयपुर

24. पाठक पी. डी. : (2009) ''शिक्षा मनोविज्ञान'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

25. लवानिया व जैन : (1983), ''समाजशास्त्रीय अनुसंधान का तर्क और विधियाँ'', जयपुर रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर

26. कुलकर्णी, टी. एम. : (2007), ''शैक्षिक प्रौद्योगिकी'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

पत्र–पत्रिकाएं –

1. शिक्षक – विमर्श :– (अध्यापक विशेषांक) नवम्बर–जनवरी, 2012, सम्पादक कृष्णक ुमार

2. शिविरा पत्रिका :– शिक्षा विभाग, राजस्थान, (सितम्बर 2006)

3. शिविरा पत्रिका :– निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान अप्रैल (2000)

Website :-

1. www.education.com

2. www.khoj.com

3. www.wikipedia.com

4. www.educationplanet.com